पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड (पीआईएफआईएल)

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

1वीं वार्षिक रिपोर्ट

2024-25

पंजीकृत कार्यालय: कार्यालय सं. 1104-1108, 11वीं मंजिल, प्रज्ञा II, ब्लॉक-15, सी1,
रोड 11, जोन 1, गिफ्ट एसईज़ेड, गिफ्ट सिटी, गांधी नगर, गुजरात, इंडिया, 382050
फोन 011-23456387 वेबसाइट: https://www.pfcindia.co.in/ ईमेल: pfcinfraifsc@pfcindia.com

विषय-सूची

पीआईएफआईएल के बारे में	3
कॉर्पोरेट जानकारी	4
निदेशक मंडल एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	5
एजीएम सूचना	6
निदेशक रिपोर्ट	14
प्रबंधन चर्चा विश्लेषण रिपोर्ट	63
एकल वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट	67
वित्तीय विवरण	81

पीआईएफआईएल के बारे में

पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड (पीआईएफआईएल) का गठन 11 फरवरी, 2024 को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी के रूप में किया गया था। कंपनी को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी (आईएफएससीए) से 10 अक्तूबर, 2024 को आईएफएससी गिफ्ट सिटी गुजरात में एक वित्त कंपनी के रूप में गतिविधियां संचालित करने का अनुमोदन प्राप्त हुआ, जो आईएफएससीए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तथा आईएफएससीए (वित्त कंपनी) विनियम, 2021 के विनियम 5(1)(ii)(ए) में निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान किया गया है।

पीआईएफआईएल गिफ्ट सिटी, गुजरात स्थित इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर (आईएफएससी) में इंफ्रास्ट्रक्चर एवं विद्युत क्षेत्र को ऋण प्रदान करने वाली पहली सरकारी स्वामित्वाधीन कोर फाइनेंस कंपनी है। कंपनी अपने संचालन स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में तथा प्राधिकरण द्वारा अनुमत ऐसे व्यक्तियों के साथ करेगी, चाहे वे निवासी हों या अनिवासी। पीआईएफआईएल का उद्देश्य भारत एवं अन्य देशों में सरकारी तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं को विदेशी मुद्रा में ऋण सुविधा प्रदान करना है।

आईएफएससी वैश्विक पूंजी और विशेषज्ञता तक पहुंच के लिए एक विशिष्ट मंच प्रदान करता है, जिससे आपकी कंपनी अपने ग्राहकों को और अधिक प्रभावी एवं नवोन्मेषी वित्तपोषण समाधान उपलब्ध कराने में सक्षम होगी। आईएफएससी में पीआईएफआईएल का प्रवेश नए व्यावसायिक अवसरों को खोलने के साथ-साथ इसकी वैश्विक उपस्थिति को भी स्थापित करेगा। यह कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए वित्तीय समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

भारत का विद्युत क्षेत्र तीव्र विकास के लिए तैयार है, जिसमें सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट स्थापित क्षमता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण तथा संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए आने वाले वर्षों में पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय विद्युत योजना 2023 के अनुसार, वर्ष 2032 तक विद्युत क्षेत्र में 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में, पीआईएफआईएल से अपेक्षा की जाती है कि वह विदेशी मुद्रा में वित्तपोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा इस क्षेत्र की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

पंजीकृत कार्यालय: कार्यालय सं. 1104-1108, 11वीं मंजिल, प्रज्ञा II, ब्लॉक-15, सी1,
रोड 11, जोन 1, गिफ्ट एसईज़ेड, गिफ्ट सिटी, गांधी नगर, गुजरात, इंडिया, 382050
फोन 011-23456387 वेबसाइट: https://www.pfcindia.co.in/ ईमेल: pfcinfraifsc@pfcindia.com

कॉर्पोरेट जानकारी	
कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U64910GJ2024GOI148583
पंजीकृत कार्यालय	कार्यालय सं. 1104-1108, 11वीं मंजिल, प्रज्ञा II, ब्लॉक-15, सी1, रोड 11, जोन 1, गिफ्ट एसईज़ेड, गिफ्ट सिटी, गांधी नगर, गुजरात, इंडिया, 382050
ई-मेल आईडी	pfcinfraifsc@pfcindia.com
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	श्री पी एस सुंदरम
मुख्य वित्तीय अधिकारी	सुश्री जसनीत गुरम
कंपनी सचिव	सुश्री शिखा तलरेजा
सांविधिक लेखापरीक्षक	**मैसर्स मुकेश कुमार जैन एंड कंपनी,** चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
सचिवीय लेखापरीक्षक	**मैसर्स मेहता एंड मेहता,** कंपनी सेक्रेटरीज
प्रमुख बैंकर	भारतीय स्टेट बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया

निदेशक मंडल

Smt. Parminder Chopra

श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, अध्यक्ष

निदेशक

Shri Rajiv Ranjan Jha

श्री राजीव रंजन झा

निदेशक

Shri Manoj Sharma

श्री मनोज शर्मा

निदेशक

Shri Sandeep Kumar

श्री संदीप कुमार

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

P. Shanmuga Sundaram

पी. शुनमुगा सुंदरम

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Jasneet Guram

जसनीत गुरम

मुख्य वित्तीय अधिकारी

Shikha Talreja

शिखा तलरेज

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

पंजीकृत कार्यालय: कार्यालय सं. 1104-1108, 11वीं मंजिल, प्रज्ञा II, ब्लॉक-15, सी1, रोड 11, जोन 1, गिफ्ट एसईज़ेड, गिफ्ट सिटी, गांधी नगर, गुजरात, इंडिया, 382050
फोन 011-23456387 वेबसाइट: https://www.pfcindia.co.in/ ईमेल: pfcinfraifsc@pfcindia.com

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफ़एससी लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 1वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) कम सूचना अवधि पर शुक्रवार, 5 दिसंबर, 2025 को प्रातः 10:00 बजे उर्जानिधि, 1 बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001 में आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा:

साधारण कार्य

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर विचार करना, उन्हें स्वीकार करना तथा निदेशक मंडल, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को अपनाना।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

विशेष कार्य

3. श्री संदीप कुमार (डीआईएन सं. 08529035) की कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति

   निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण संकल्प के रूप में, संशोधन सहित या बिना संशोधन के, विचार करने के लिए तथा यदि उपयुक्त समझा जाए, तो पारित करना:

   "संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152, 161 तथा अन्य लागू प्रावधानों (समय-समय पर किए गए किसी भी सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसार, श्री संदीप कुमार (DIN 08529035), जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 04.09.2024 को आयोजित बैठक में अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद पर कार्यरत हैं, को कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

   "यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी का कोई भी निदेशक या कंपनी सचिव, पृथक रूप से, सभी आवश्यक ई-फॉर्म, रिटर्न, विलेख, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने तथा इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक सभी कार्य, कृत्य और कार्यवाही करने के लिए अधिकृत होंगे।"

4. कंपनी की प्रदत्त पूंजी और मुक्त रिसर्व से अधिक ऋण राशि

   निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष संकल्प के रूप में, संशोधन सहित या बिना संशोधन के, विचार करने के लिए तथा यदि उपयुक्त समझा जाए, तो पारित करना:

   "संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(l)(सी) तथा अन्य लागू प्रावधानों (समय-समय पर किए गए किसी भी सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, कंपनी की सहमति प्रदान की जाती है कि निदेशक मंडल कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार, प्रतिभूति सहित या बिना प्रतिभूति के, ऋण राशि ले सके, भले ही इस प्रकार ली गई कुल ऋण राशि (कंपनी के बैंकरों से सामान्य व्यापार के दौरान लिए गए अस्थायी ऋण को छोड़कर) कंपनी की प्रदत्त पूंजी, मुक्त रिसर्व और प्रतिभूति प्रीमियम के कुल योग से अधिक हो जाए; बशर्ते कि किसी भी समय कुल बकाया ऋण राशि यूएस$ 300 मिलियन (केवल तीन सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर) के समतुल्य राशि से अधिक न हो, चाहे वह किसी भी विदेशी

मुद्रा में हो, और यह ऋण राशि ऐसे नियमों और शर्तों पर ली जाए जिन्हें निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक और उपयुक्त समझे।"

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(I)(ए) तथा संबंधित नियमों के अनुसार, कंपनी की सहमति प्रदान की जाती है कि निदेशक मंडल कंपनी की चल एवं अचल संपत्तियों, चाहे वर्तमान हों या भविष्य की, या कंपनी के उपक्रम के संपूर्ण या उसके महत्वपूर्ण भाग को, कंपनी की बहियों में दर्ज बकाया ऋण राशि को सुरक्षित करने के लिए, किसी भी विदेशी मुद्रा में यूएस$ 300 मिलियन (केवल तीन सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर) के समतुल्य राशि तक, बंधक और/या प्रभारित कर सके।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी की सहमति प्रदान की जाती है कि कंपनी का निदेशक मंडल (जिसमें निदेशक मंडल द्वारा विधिवत गठित कोई समिति या निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कोई प्राधिकरण/अधिकारी शामिल हो सकता है) ऋण राशि के लिए उपयुक्त नियम और शर्तें निर्धारित करने तथा उपर्युक्त प्रस्तावों को प्रभावी बनाने हेतु सभी आवश्यक कार्य, कृत्य, दस्तावेजों का निष्पादन और अन्य आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होगा।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड

ह/-

कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A 15752

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04.12.2025

टिप्पणियां:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कोई भी सदस्य जो वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उपस्थित होने और मतदान करने का अधिकार रखता है, वह अपने स्थान पर बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है। प्रॉक्सी का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा। प्रॉक्सी को प्रभावी होने के लिए, उसे बैठक से कम से कम 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराना आवश्यक है। एक रिक्त प्रॉक्सी प्रपत्र संलग्न है।

2. वे कॉर्पोरेट सदस्य जो बैठक में भाग लेने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधि भेजना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रतिनिधि को बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए अधिकृत करने हेतु निदेशक मंडल के संकल्प की विधिवत प्रमाणित प्रति भेजें।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार, वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले विशेष कार्यों से संबंधित एक व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार, सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है तथा धारा 142 के अनुसार, उनका पारिश्रमिक वार्षिक आम बैठक में या कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में निर्धारित किया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु धारा 139 के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की है। सदस्यगण निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लेखापरीक्षकों के उपयुक्त पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं, जैसा कि निदेशक मंडल उचित समझे।

5. सांविधिक रजिस्टर तथा अन्य सभी दस्तावेज इस सूचना के प्रेषण की तिथि से लेकर एजीएम की तिथि तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

6. एजीएम के लिए उपस्थिति पर्ची संलग्न है।

7. कंपनी की 1वीं एजीएम को कम सूचना अवधि पर 5 दिसंबर, 2025 को प्रातः 10:00 बजे आयोजित करने के लिए सदस्यों की सहमति प्राप्त कर ली गई है।

व्याख्यात्मक विवरण
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार)

निम्नलिखित विवरण संलग्न सूचना में उल्लिखित विशेष कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करता है:

मद सं. 3

श्री संदीप कुमार (डीआईएन सं. 08529035) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा 4 सितंबर, 2025 को आयोजित बैठक में कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। वे इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक अपने पद पर बने रहेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति कंपनी की आम बैठक में की जानी आवश्यक है। अतः श्री संदीप कुमार की निदेशक के रूप में नियुक्ति को आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

संक्षिप्त प्रोफाइल

श्री संदीप कुमार का विद्युत और वित्तीय क्षेत्रों में 35 वर्षों से अधिक का विशिष्ट अनुभव है। उन्होंने वाणिज्य (ऑनर्स) में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और वे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के फेलो सदस्य हैं। वे एक सिद्ध लीडर हैं जिनका विभिन्न कार्यक्षेत्रों की टीमों का प्रबंधन करने तथा नवाचार को बढ़ावा देकर ग्राहकों और कार्मिकों के अनुभव को बेहतर बनाने में उत्कृष्ट रिकॉर्ड रहा है। उनके विविध अनुभव में निधि जुटाव, नकदी प्रबंधन, परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन, ऋण प्रचालन, दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन, नीति निर्माण, कर योजना, वित्तीय लेखांकन तथा प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली शामिल हैं।

श्री संदीप कुमार को छोड़कर, किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का इस संकल्प के पारित होने में कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है।

निदेशक मंडल, सूचना के मद सं. 3 में उल्लिखित साधारण संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करता है।

मद सं. 4

कंपनी की प्रदत्त पूंजी और मुक्त रिसर्व से अधिक ऋण राशि

कंपनी की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कंपनी को आईएफएससी या अंतरराष्ट्रीय बाजारों से अपनी प्रदत्त शेयर पूंजी, मुक्त रिसर्व और प्रतिभूति प्रीमियम से अधिक ऋण राशि लेने की आवश्यकता हो सकती है। इस उद्देश्य के लिए, निदेशक मंडल को कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसार, शेयरधारकों से उनकी बैठक में इस प्रकार की ऋण राशि के लिए अनुमोदन एवं अधिकार प्राप्त करना आवश्यक है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के अनुसार, यदि कंपनी द्वारा ऋण ली जाने वाली राशि, पहले से ली गई ऋण राशि सहित, कंपनी की प्रदत्त पूंजी, मुक्त रिसर्व और प्रतिभूति प्रीमियम के कुल योग से अधिक हो जाती है, तो इसके लिए शेयरधारकों का अनुमोदन विशेष संकल्प के माध्यम से आवश्यक होता है।

अतः कंपनी की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु समग्र ऋण सीमा निर्धारित करना आवश्यक है। आगामी 3 से 4 वर्षों में कंपनी की निधि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तावित किया जाता है कि कंपनी की कुल ऋण सीमा, उसकी प्रदत्त पूंजी, मुक्त रिसर्व और प्रतिभूति प्रीमियम के अतिरिक्त, किसी भी विदेशी मुद्रा में यूएस $ 300 मिलियन (केवल तीन सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर) के समतुल्य निर्धारित की जाए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ए) एवं 180(1)(सी) के अनुसार, उपर्युक्त ऋण के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करने हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति विशेष प्रस्ताव के माध्यम से आवश्यक है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड

ह/-
शिखा तलरेजा
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A 15752

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04.12.2025

पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)
सीआईएन: U64910GJ2024GOI148583
पंजीकृत कार्यालय: कार्यालय नं. 1104 - 1108, 11वीं मंजिल, प्रज्ञा II, ब्लॉक नं. 15-सी1, रोड 11, जोन-1,
गिफ्ट एसईज़ेड, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात - 382050
वेबसाइट: www.pfcindia.com; ईमेल: pfcinfraifsc@pfcindia.com
फोन: 011-23456387

उपस्थिति पर्ची

पहली वार्षिक आम बैठक 5 दिसंबर, 2025 को प्रातः 10:00 बजे उर्जानिधि, 1 बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001 में आयोजित की जाएगी।

उपस्थित सदस्य का नाम (साफ अक्षरों में)	
फोलियो संख्या	
डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी संख्या	
धारित शेयरों की संख्या	
प्रॉक्सी का नाम (साफ अक्षरों में भरा जाए, यदि सदस्य के स्थान पर प्रॉक्सी उपस्थित हो)	

मैं, 5 दिसंबर, 2025 को **प्रातः 10:00 बजे उर्जानिधि, 1 बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001** में आयोजित की गई कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूं।

सदस्य/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

*फिजिकल रूप में धारित शेयरों के मामले में लागू।

पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)
सीआईएन: U64910GJ2024GOI148583
पंजीकृत कार्यालय: कार्यालय नं. 1104 - 1108, 11वीं मंजिल, प्रज्ञा II, ब्लॉक नं. 15-सी1, रोड 11, जोन-1,
गिफ्ट एसईज़ेड, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात - 382050
वेबसाइट: www.pfcindia.com; ईमेल: pfcinfraifsc@pfcindia.com
फोन: 011-23456387

प्रॉक्सी फॉर्म
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

सदस्य का नाम:
पंजीकृत पता:
ई-मेल आईडी:
फोलियो सं./डीपी आईडी-क्लाइंट आईडी:

मैं/हम, _____, जो उपर्युक्त नामित कंपनी के सदस्य हैं तथा _____ शेयर धारण करते हैं, एतद् द्वारा नियुक्त करते हैं:

1. नाम:..... ई-मेल आईडी: .....
   पता:..... हस्ताक्षर: या इनके अभाव में
2. नाम:..... ई-मेल आईडी: .....
   पता: ..... हस्ताक्षर: .....

को मेरा/हमारा प्रॉक्सी नियुक्त करते हैं, जो मेरी/हमारी ओर से कंपनी की 1वीं (प्रथम) वार्षिक आम सभा में उपस्थित होकर मतदान (मतदान के माध्यम से) कर सके। यह बैठक **5 दिसंबर, 2025** को प्रातः 10:00 बजे, उर्जानिधि, 1 बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001 में आयोजित की जाएगी, तथा उसके किसी भी स्थगन (यदि कोई हो) की स्थिति में, नीचे दर्शाए गए प्रस्तावों के संबंध में मतदान कर सके-

मद सं.	**विषय**		**पक्ष**	**विपक्ष**
	सामान्य कार्य:			
1	31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित, प्राप्त करना, विचार करना एवं अनुमोदित करना।			
2	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के			

	पारिश्रमिक को निर्धारित करने हेतु निदेशक मंडल को अधिकृत करना।			
	विशेष कार्य:			
3	कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री संदीप कुमार (डीआईएन सं. 08529035) की नियुक्ति।			
4	कंपनी की प्रदत्त पूंजी और मुक्त रिसर्व से अधिक ऋण लेना।			

राजस्व स्टांप चिपकाएँ

हस्ताक्षरित: 4 दिसंबर, 2025

शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी धारक(ओं) के हस्ताक्षर

नोट- यह प्रॉक्सी फॉर्म वैध और प्रभावी होने के लिए पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए और इसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक के प्रारंभ होने से कम से कम 48 घंटे पहले जमा करना आवश्यक है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोर्ड की रिपोर्ट

प्रति
सदस्यगण,
पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड

मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैं आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हूं, जिसमें 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2025) के लिए लेखापरीक्षित लेखा विवरण, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां शामिल हैं।

1. वित्तीय कार्य-निष्पादन

11 फरवरी, 2024 को गिफ्ट सिटी, गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर (आईएफएससी) में स्थापना के पश्चात, आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान अभी तक अपना परिचालन प्रारंभ नहीं किया है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के दौरान, आपकी कंपनी ने यूएसडी 6,84,201 (आईएनआर 5,76,70,210) की सकल आय रिपोर्ट की है। कर पश्चात लाभ/(हानि) यूएसडी 2,53,859 अर्थात आईएनआर 2,12,78,238 रहा। वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे प्रस्तुत किया गया है:

विवरण	**2024-25**	
	(यूएसडी में राशि)	**(आईएनआर में राशि)**
कुल आय	6,84,201	5,76,70,210
कुल व्यय	3,41,632	2,88,00,036
कर पूर्व लाभ/(हानि)	3,42,569	2,88,70,174
कर पश्चात लाभ/(हानि)	2,53,859	2,12,78,238
अन्य व्यापक आय	-	2,08,06,516
नेट वर्थ	1,22,58,301	1,04,20,84,754

2. शेयर पूंजी

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी आईएनआर 50,00,00,00,000/- (भारतीय रुपए पांच हजार करोड़) है तथा प्रदत्त शेयर पूंजी आईएनआर 1,00,00,00,000/- (भारतीय रुपए एक सौ करोड़) है, जो प्रत्येक आईएनआर 10/- के 10,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

3. कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 के तहत सांविधिक प्रकटीकरण और घोषणाएं

i) वार्षिक विवरणी

आपकी कंपनी, एक आईएफएससी कंपनी होने के नाते, वार्षिक विवरणी के निष्कर्ष के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 92(3) के प्रावधानों से छूटप्राप्त है।

ii) बोर्ड बैठकों की संख्या

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की पांच (5) बैठकें आयोजित की गईं। अधिक विवरण के लिए, कृपया इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रस्तुत निगमित शासन रिपोर्ट देखें।

iii) निदेशक उत्तरदायित्व वक्तव्य

अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, आपके निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित घोषणाएं करते हैं और पुष्टि करते हैं कि:

क) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों के निर्माण में लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है, साथ ही किसी भी महत्वपूर्ण विचलन के संबंध में उचित व्याख्या भी प्रस्तुत की गई है;

ख) निदेशकों ने ऐसे लेखा नीति का चयन किया और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए जो तार्किक और विवेकपूर्ण हैं, ताकि 31 मार्च, 2025 की स्थिति में आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा उस दिन समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सटीक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत किया जा सके;

ग) निदेशकों ने कंपनी के परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने के लिए, कंपनियों अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त और उचित ध्यान देकर उचित लेखा रिकॉर्ड बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाई है;

घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को गोइंग कन्सर्न आधार पर तैयार किया है;

ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं और यह सुनिश्चित किया है कि ये वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं;

च) निदेशकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं कि सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का पालन किया जाए, और ये प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

iv) धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

कंपनी के संविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 143(12) के अंतर्गत और संबंधित नियमों के अनुसार कोई धोखाधड़ी की घटना दर्ज नहीं की गई है।

v) स्वतंत्र निदेशक

आपकी कंपनी, एक आईएफएससी कंपनी होने के साथ-साथ पीएफसी की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी होने के कारण, स्वतंत्र निदेशक होने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 04.01.2017 को जारी अधिसूचना (एमसीए अधिसूचना) और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4(2) में निर्धारित किया गया है।

हालांकि लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के निगमित शासन दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ, बोर्ड के संगठन में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता का प्रावधान है, अपितु डीपीई ने इस आवश्यकता से छूट अपने दिनांक 27.09.2024 के पत्र के माध्यम से प्रदान की है।

vi) धारा 178 की उप धारा (1) के अंतर्गत कंपनी में विद्यमान निदेशकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक तथा अन्य समितियों पर कंपनी की नीति

कंपनी एक आईएफएससी कंपनी होने के कारण, निदेशकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक संबंधी नीति एमसीए अधिसूचना के माध्यम से छूट प्राप्त है।

vii) लेखापरीक्षकों द्वारा प्रत्येक अर्हता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण (यदि कोई हो) पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या की गई टिप्पणियां

क. सचिवीय लेखापरीक्षक रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा कोई भी अर्हता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण नहीं किया गया है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक क के रूप में संलग्न किया गया है।

ख. लेखों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई भी अर्हता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने दिनांक 27.10.2025 के पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए पीआईएफआईएल के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा न किए जाने के अपने निर्णय से अवगत कराया है। इस संबंध में सी एंड एजी से प्राप्त पत्र को अनुलग्नक ख के रूप में संलग्न किया गया है।

viii) ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(11) के अनुसार, आपकी कंपनी द्वारा कोई ऋण नहीं दिया गया, कोई गारंटी नहीं दी गई और कोई प्रतिभूति नहीं प्रदान की गई है; अतः कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

ix) संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं या व्यवस्था का विवरण

धारा 188(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट संबंधित पक्षकारों के साथ कोई संविदा या व्यवस्था का विवरण नहीं है। अतः कंपनी लेखा नियम, 2014 के नियम 8(2) के तहत निर्दिष्ट फॉर्म एओसी-2 में कोई विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

x) कंपनी के कार्यों की स्थिति

आपकी कंपनी ने अभी तक अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के कार्यों/स्थिति का विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाली प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है।

xi) लाभांश एवं रिजर्व का अंतरण

कंपनी वर्तमान में अपने प्रचालन के प्रारंभिक चरण में है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लाभ व्यवसायिक आय से नहीं, अपितु पूंजी को सावधि जमा में निवेशित करने पर प्राप्त ब्याज आय से अर्जित हुए हैं।

आपकी कंपनी ने 2,12,78,238 रुपए का लाभ दर्ज किया है और यह राशि 31 मार्च 2025 तक प्रतिधारित अर्जन का हिस्सा है।

जहां निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सीपीएसई दिशानिर्देशों के पूंजी पुनर्संरचना दिशानिर्देशों के तहत, अन्य बातों के साथ, पीएटी का न्यूनतम 30% वार्षिक लाभांश देने की आवश्यकता होती है, वहीं सीपीएसई में पूंजी प्रबंधन और लाभांश की निगरानी समिति (सीएमसीडीसी) की 17.10.2025 को आयोजित बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2024–25 और 2025–26 के लिए इस आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है।

xii) वित्तीय विवरणों और बोर्ड रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों और प्रतिबद्धताओं का विवरण (यदि कोई हो)

वित्तीय वर्ष 2024–25 की समाप्ति और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

xiii) ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

<u>ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी अवशोषण</u>

ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित जानकारी लागू नहीं है क्योंकि कंपनी विद्युत और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के वित्तपोषण के व्यवसाय से जुड़ा है।

<u>विदेशी मुद्रा आय और व्यय</u>

आपकी कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा यूएसडी है, और प्रेजेंटिंग मुद्रा आईएनआर है। हालांकि, विदेशी मुद्रा आय और व्यय की रिपोर्टिंग के प्रयोजन से, आईएनआर के अलावा अन्य मुद्रा में किसी भी आय या व्यय की रिपोर्ट यहां की जाती है। कंपनी प्रचालन और सावधि जमा आय पर ब्याज से अपना राजस्व केवल यूएसडी में अर्जित करती है।

वित्तीय वर्ष 25 के दौरान, विदेशी मुद्रा आय और व्यय निम्नानुसार हैं:

i) विदेशी मुद्रा जमा पर ब्याज के निमित्त विदेशी मुद्रा आय - _यूएसडी 6,84,201
ii) आईएफएससीए शुल्क और बैंक प्रभार के निमित्त विदेशी मुद्रा व्यय - यूएसडी 20,480

xiv) जोखिम प्रबंधन नीति

कंपनी की अपनी लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन नीति और एक्सपोजर एवं संकेंद्रण जोखिम नीति है।

xv) निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

आईएफएससी सार्वजनिक कंपनी होने के नाते निगमित सामाजिक दायित्व से संबंधित प्रावधान 04 जनवरी, 2017 की एमसीए अधिसूचना के अनुसार व्यवसाय शुरू होने से 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi) बोर्ड के कार्य-निष्पादन पर मूल्यांकन

बोर्ड/निदेशकों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित प्रावधान आपकी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक आईएफएससी कंपनी है जिसे एमसीए अधिसूचना के तहत छूट दी गई है।

4. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का ब्यौरा

क्र.सं.	पूर्णकालिक निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम	कंपनी में पदनाम
1)	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (डीआईएन: 08530587)	अध्यक्ष एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
2)	श्री राजीव रंजन झा (डीआईएन: 03523954)	निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
3)	श्री मनोज शर्मा (डीआईएन: 06822395)	निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
4)	श्री संदीप कुमार (डीआईएन:08529035)	निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
5)	श्री पी. शुनमुगा सुंदरम	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
6)	श्रीमती जसनीत गुरम	मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
7)	श्रीमती शिखा तलरेजा	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी के निदेशक आईएफएससीए विनियमों में निर्दिष्ट फिट एंड प्रोपर पपर्सन मानदंडों का भी पालन करते हैं।

5. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

सभी कर्मचारी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी के पेरोल पर हैं, जिसने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न पर नीति लागू की है और कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है। हालांकि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी को लैंगिक उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

6. विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरण द्वारा पारित महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण

विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा गोइंग कंसर्न की स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए गए हैं।

7. प्रकटीकरण

- एक आईएफएससी कंपनी होने के नाते, सचिवीय मानकों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118(10) के प्रावधान एमसीए द्वारा जारी 04 जनवरी, 2017 की अधिसूचना के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- आईएफएससीए निगमित शासन दिशानिर्देश 2021 के अनुसार निगमित शासन एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं पर फ्रेमवर्क और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निगमित शासन पर रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट के हिस्से के रूप में संलग्न की गई है।
- वर्ष के दौरान दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कोई आवेदन या कार्यवाही शुरू नहीं की गई।
- कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के नियम 4(3) के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अनुसार, लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आपकी कंपनी में प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।
- कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी एकमुश्त निपटान सुविधा का लाभ नहीं उठाया है और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से मूल्यांकन की आवश्यकता वाला कोई ऋण नहीं लिया है।
- कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।
- आपकी कंपनी का वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या एसोसिएट कंपनी में कोई निवेश नहीं है।

8. आभार

निदेशक मंडल पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी (आईएफएससीए), भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी), सांविधिक लेखापरीक्षक और अन्य विनियामक प्राधिकरणों को उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड

(परमिंदर चोपड़ा)
अध्यक्ष
डीआईएन: 08530587

स्थान:
दिनांक:

निगमित शासन पर रिपोर्ट

1. निगमित शासन के सिद्धांत:

कंपनी की निगमित शासन के सिद्धांत उसके व्यवसाय के कुशल संचालन तथा हितधारकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन पर केंद्रित है। यह सिद्धांत पारदर्शिता, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा पर विशेष बल देता है, जिससे हितधारकों का विश्वास सुदृढ़ हो तथा दीर्घकालिक, संधारणीय व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।

कंपनी में निगमित शासन निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है:

- कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना;
- सभी हितधारकों के हितों की सुरक्षा, संवर्धन एवं संरक्षण हेतु उपयुक्त प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं का निर्माण करना; तथा
- सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं का पारदर्शी एवं समय पर प्रकटीकरण कर विभिन्न हितधारकों के बीच विश्वास एवं भरोसा स्थापित करना।

2. निदेशक मंडल एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (31 मार्च, 2025 तक)

क्र.सं.	निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम	कंपनी में पदनाम
8)	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (डीआईएन: 08530587)	अध्यक्ष एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
9)	श्री राजीव रंजन झा (डीआईएन: 03523954)	निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
10)	श्री मनोज शर्मा (डीआईएन: 06822395)	निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
11)	श्री संदीप कुमार (डीआईएन:08529035)	निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
12)	श्री पी. शुनमुगा सुंदरम	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
13)	श्रीमती जसनीत गुरम	मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
14)	श्रीमती शिखा तलरेजा	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

क) वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

i. श्री संदीप कुमार (डीआईएन: 08529035) की गैर-कार्यकारी निदेशक (अपर निदेशक) के रूप में नियुक्ति दिनांक 04.09.2024 से की गई।

बोर्ड बैठकें

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, पांच (05) बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं, जो 11.03.2024, 04.09.2024, 29.11.2024, 04.02.2025 एवं 26.03.2025 को संपन्न हुईं।

बोर्ड बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति (भौतिक उपस्थिति/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से):

नाम एवं पदनाम	बोर्ड बैठकें		31.03.2025 तक अन्य कंपनियों में धारित अन्य निदेशक पदों की संख्या	पिछली एजीएम में उपस्थिती	
	अवधि के दौरान आयोजित	उपस्थिती			
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा अध्यक्ष	5	5	4	**लागू नहीं**	
श्री राजीव रंजन झा निदेशक	5	5	6	**लागू नहीं**	
श्री मनोज शर्मा निदेशक	5	5	7	**लागू नहीं**	
श्री संदीप कुमार निदेशक	5	4	3	**लागू नहीं**	

टिप्पणी:

i. सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकित होल्डिंग कंपनी पीएफसी द्वारा की जाती है।
ii. निदेशकों का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं है।
iii. कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी तरह से एक-दूसरे से संबंधित नहीं है।

3. निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई जानकारी

बोर्ड के पास कंपनी से संबंधित सभी जानकारी तक पूरी पहुंच है। बोर्ड के सदस्य किसी भी मामले की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र हैं जिसे वे कंपनी के मामलों के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं।

4. बोर्ड स्तरीय समिति

कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 के अनुसार, आपकी कंपनी पीएफसी की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी होने के नाते लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन करने से छूट दी गई है। साथ ही, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) से निगमित शासन, 2010 पर डीपीई दिशानिर्देश से छूट मांगी गई है।

5. वार्षिक आम बैठक

आपकी कंपनी की 11 फरवरी, 2024 को स्थापना की गई थी। वित्तीय वर्ष 25 के लिए कंपनी की पहली (प्रथम) वार्षिक आम बैठक 5 दिसंबर, 2025 को सुबह 10 बजे आयोजित की जाएगी।

6. प्रकटीकरण

- कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेनदेन नहीं हुआ है जिसका बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो।
- वित्तीय वर्ष 25 के दौरान, सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर, किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना या गैर-अनुपालन नहीं लगाया गया है, या कोई सख्ती नहीं की गई है।
- आईएफएससी सार्वजनिक कंपनी होने के नाते, सतर्कता तंत्र/व्हिसिल ब्लोअर कंपनी पर लागू नहीं है।
- वित्तीय वर्ष 25 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कंपनी को कोई राष्ट्रपति निर्देश जारी नहीं किया गया है।
- कंपनी ने डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के कुछ अनुपालनों के संबंध में डीपीई से छूट मांगी है।
- कंपनी ने ऐसा कोई व्यय नहीं किया है, जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं है।
- वित्तीय वर्ष 25 के लिए कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय 100% है

7. संचार का माध्यम

कंपनी के वित्तीय विवरण https://www.pfcindia.co.in/ की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

8. वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा योग्यता

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय वर्ष 25 के लिए वित्तीय विवरणों पर कोई योग्यता नहीं है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने दिनांक 27.10.2025 के पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए पीआईएफआईएल के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं करने के निर्णय से अवगत कराया है।

9. बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता

कंपनी ने बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता तैयार की है। इस संहिता का उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रियाओं को बढ़ाना है। संहिता की एक प्रति वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा नीचे दी गई है:

"मैं इसके द्वारा पुष्टि करता हूं कि:

कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन से पुष्टि प्राप्त की है कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता का अनुपालन किया है।

ह/-
पी एस सुंदरम
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

10. सांविधिक लेखापरीक्षकों को शुल्क

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों मेसर्स मुकेश कुमार जैन एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिन्हें भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया था, को भुगतान किया गया कुल ऑडिट, कर और प्रमाणन शुल्क 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए 1 लाख रुपए था।

11. बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

आपकी कंपनी पीएफसी की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है, वर्तमान में आपकी कंपनी में बोर्ड स्तर की नियुक्तियां पीएफसी द्वारा की जाती हैं। बोर्ड के सभी सदस्य पीएफसी के निदेशक/कार्यकारी हैं, जो समय-समय पर उनके लिए विभिन्न प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम आयोजित करता है।

12. निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन पर प्रमाणपत्र

लोक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 14.05.2010 को जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के खंड 8.2.1 के अनुसार, निगमित शासन पर एक अनुपालन प्रमाणपत्र यश मेहता एंड एसोसिएट्स कंपनी सचिवों से दिनांक 26.11.2025 को प्राप्त किया गया है और संलग्न है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड

ह/-
(परमिंदर चोपड़ा)
अध्यक्ष
डीआईएन: 08530587

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04.12.2025

मेहता एंड मेहता

कंपनी सचिव

187, द्वितीय तल, पॉकेट-17, सेक्टर-24, रोहिणी, बेस्ट मेगा मॉल के पास, दिल्ली-110085

दूरभाष: +91 22 28940483 वेबसाइट: www.mehta-mehta.com

ट्रेडमार्क कॉपीराइट एवं पेटेंट के लिए अधिकृत एजेंट

फॉर्म एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार}

प्रति,
सदस्यगण,
पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड,
कार्यालय नं. 1104 - 1108, 11वीं मंजिल, प्रज्ञा II,
ब्लॉक-15, सी1, रोड 11, जोन-1, गिफ्ट सिटी,
गांधीनगर, गुजरात – 382050

हमने **पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड** (जिसे आगे "कंपनी" कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उत्तम कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखापरीक्षा की है। यह सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई है कि हमें कॉर्पोरेट आचरण, सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने तथा उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्राप्त हो सके।

कंपनी की बहियों, अभिलेखों, कार्यसूची बहियों, प्रपत्रों एवं रिटर्न तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन के आधार पर, और साथ ही सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंट एवं अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है। साथ ही, कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं एवं अनुपालन तंत्र उपलब्ध है, जिस सीमा तक, जिस प्रकार से और आगे दी गई रिपोर्टिंग के अधीन है।

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों एवं रिटर्न तथा अन्य रिकॉर्ड की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम।

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उप-नियम (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(v) वेबसाइट अनुपालन

(vi) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश:-

(क) सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(ख) सेबी (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण एवं टेकओवर) विनियम (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(ग) सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(घ) सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(ङ) सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ एवं स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(च) सेबी (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियम, 2021 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(छ) कंपनी अधिनियम तथा ग्राहकों से डीलिंग संबंधी सेबी (इश्यू के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 1993 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(ज) सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(झ) सेबी (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 2018 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(vii) रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(viii) कंपनियों पर विशेष रूप से लागू अन्य कानून:

क. लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देश
ख. आईएफएससीए (वित्त कंपनी) विनियम, 2021
ग. आईएफएससीए के निगमित शासन दिशा-निर्देश, 2021

हमने निम्नलिखित के लागू प्रावधानों के अनुपालन की जांच की है:

(i) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि:

i. कंपनी का निदेशक मंडल गैर-कार्यकारी निदेशकों से गठित है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किए गए।
ii. बोर्ड की बैठकों के लिए पर्याप्त सूचना, एजेंडा एवं विस्तृत टिप्पणियों सहित, सभी निदेशकों को दस्ती डाक प्रदान की गई।
iii. बोर्ड के निर्णय आवश्यक बहुमत से पारित किए गए।
iv. कंपनी के प्रथम लेखापरीक्षक की नियुक्ति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त संचार के आधार पर की गई है।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में उसके आकार एवं कार्यों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं मौजूद हैं, जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी एवं सुनिश्चित करने हेतु सक्षम हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी में निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाइयां हुईं, जिनका कंपनी के कार्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जो उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुपालन में की गईं:

i. कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (एओए) में संशोधन किया गया है, जो 29 नवंबर, 2024 को शेयरधारकों द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार, निदेशक मंडल की शक्तियों के संबंध में किया गया है।

कृते मेहता एंड मेहता
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनिक कोड: P1996MH007500)

सीएस नयन
पार्टनर

एफसीएस सं.: 11993 स्थान: दिल्ली यूडीआईएन: F011993G001851699
सीपी सं.: 18686 दिनांक: 12 नवंबर, 2025

टिप्पणी: यह रिपोर्ट हमारे समदिनांकित पत्र के साथ पढ़ी जानी चाहिए, जो अनुलग्नक-,क के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न हिस्सा है।

अनुलग्नक क

प्रति,
सदस्यगण,
पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड,
कार्यालय नं. 1104 - 1108, 11वीं मंजिल, प्रज्ञा II,
ब्लॉक-15, सी1, रोड 11, जोन-1, गिफ्ट सिटी,
गांधीनगर, गुजरात – 382050

हमारी समदिनांकित तिथि की रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी चाहिए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों के आधार पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. हमने लेखापरीक्षा की उपयुक्त प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया ताकि सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सटीकता के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके। सत्यापन परीक्षण आधार पर किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सही तथ्य सचिवीय अभिलेखों में परिलक्षित हैं। हमें विश्वास है कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की सटीकता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के संबंध में प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं।

5. कॉर्पोरेट कानूनों, नियमों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (फॉर्म एमआर-3) में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी द्वारा दायर बहियों, दस्तावेजों, प्रपत्रों, रिपोर्टों और रिटर्न के संबंध में, उक्त विनियमों की आवश्यकताओं का पालन और अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

7. हमारी जांच विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष कंपनी द्वारा दायर किए जाने वाले विभिन्न प्रपत्रों, रिपोर्टों, रिटर्न और दस्तावेजों के निष्पादन और समयबद्धता की जांच तक सीमित थी। हमने ऐसे प्रपत्रों, रिपोर्टों, रिटर्न और दस्तावेजों की सामग्री की सटीकता और पूर्णता का सत्यापन नहीं किया है।

8. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन है और न ही इस बात का कि प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन कितनी प्रभावशीलता और दक्षता से किया है।

कृते मेहता एंड मेहता
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनिक कोड: P1996MH007500)

सीएस नयन
पार्टनर

एफसीएस सं.: 11993
सीपी सं.: 18686

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 12 नवंबर, 2025

यूडीआईएन: F011993G001851699

अनुलग्नक ख

11 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(8) के अंतर्गत पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 11 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(7) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत, धारा 143(10) में निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। यह उनके द्वारा दिनांक 28 अगस्त 2025 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 11 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का निर्णय नहीं लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
की ओर से एवं उनके लिए

(तनुजा मित्तल)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27.10.2025

संख्या: DGA(E)/Rep/01-194/Acs- PFCI Fin. IFSC Ltd./2025-26/DLS-3088669

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

Dated: 27/10/25

सेवा में,

अध्यक्ष,
पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड,
नई दिल्ली ।

विषय: 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड, नई दिल्ली के 11 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं, पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड, नई दिल्ली के 11 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रही हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीया,

तनुजा मित्तल
(तनुजा मित्तल)
महानिदेशक (ऊर्जा)

संलग्नक:- यथोपरि।

पाँचवा, छठा, सातवाँ एवं दसवाँ तल, सी.ए.जी बिल्डिंग, एनैक्सी, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002
5th, 6th, 7th & 10th Floor, C.A.G. Building Annexe, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Tel.: 011-23239213, 011-23239211, Email : pdaenergydl.cag@nic.in / dgaenergydl@cag.gov.in

अनुलग्नक ग

निगमित शासन संबंधी प्रमाणपत्र

प्रति,
सदस्यगण,
पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड,
कार्यालय नं. 1104 - 1108, 11वीं मंजिल, प्रज्ञा II,
ब्लॉक-15, सी1, रोड 11, जोन-1, गिफ्ट सिटी,
गांधीनगर, गुजरात – 382050

हम, **यश मेहता एंड एसोसिएट्स,** प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड (जिसे आगे "कंपनी" कहा गया है) द्वारा निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुपालन की जांच डीपीई भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 (जिसे आगे "डीपीई दिशानिर्देश" कहा गया है) में निर्धारित अनुसार की है और जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू थे।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है ताकि डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
2. प्रबंधन को वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा दिनांक 27 सितंबर 2024 के पत्र के माध्यम से बोर्ड की संरचना में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति तथा लेखापरीक्षा समिति एवं पारिश्रमिक समिति के गठन के संबंध में डीपीई दिशानिर्देश 2010 के अनुपालन से छूट प्राप्त हुई है, क्योंकि कंपनी एक आईएफएससी कंपनी है तथा पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो एक सरकारी कंपनी है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

1. हमारी जिम्मेदारी कंपनी द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की जांच तक सीमित है। यह न तो एक लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई राय व्यक्त करता है।
2. हमने कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों और अन्य संबंधित अभिलेखों तथा दस्तावेजों की जांच की है, ताकि कंपनी द्वारा निगमित शासन आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में यथोचित आश्वासन प्रदान किया जा सके।

3. हमने कंपनी के संबंधित अभिलेखों की जांच इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी सीएसएएस-1 लेखापरीक्षा प्रबंधन पर लेखापरीक्षा मानक के अनुसार की है।

मत

1. हमारे द्वारा संबंधित अभिलेखों की जांच, हमें प्रदान की गई जानकारी, स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि 31.03.2025 की स्थिति में कंपनी, डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत निगमित शासन की आवश्यकताओं का, जहां तक लागू है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार अनुपालन कर रही थी।
2. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन है और न ही इस बात का कि प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन कितनी दक्षता या प्रभावशीलता से किया है।

कृते यश मेहता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

सीएस यश मेहता
प्रोपराइटर
सदस्यता सं. FCS 12143
सीपी सं. 16535
पीयर रिव्यू सं. 1269/2021

दिनांक: 26.11.2025
स्थान: अहमदाबाद

पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड

निगमित शासन एवं प्रकटीकरण अपेक्षाओं संबंधी नीति

सितंबर 2024

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित

1) पृष्ठभूमि

पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड ('कंपनी') (पीएफसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह एक वित्तीय कंपनी के रूप में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी), गिफ्ट सिटी, गुजरात में स्थापित की गई है और इसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी (आईएफएससीए) द्वारा विनियमित किया जाता है।

आईएफएससीए द्वारा 9 अगस्त 2021 को एक वित्त कंपनी के लिए निगमित शासन और प्रकटीकरण अपेक्षाओं संबंधी दिशानिर्देश (''आईएफएससीए निगमित शासन दिशानिर्देश'') जारी किए गए हैं।

यह अनिवार्य करता है कि उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक वित्त कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं पर एक ऐसा ढांचा तैयार करे, जो इन दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रावधानों की भावना और शब्दशः अनुरूपता के साथ संगत हो।

इसके अतिरिक्त, आईएफएससीए कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश दो भागों में विभाजित हैं—भाग I में सभी वित्त कंपनियों पर लागू सामान्य दिशानिर्देश शामिल हैं, जबकि भाग II में उन वित्त कंपनियों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश शामिल हैं जो एक या अधिक कोर गतिविधियां, गैर-कोर गतिविधियों के साथ या बिना, संचालित कर रही हैं।

पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड, एक वित्त कंपनी होने के कारण, उपर्युक्त आईएफएससीए दिशानिर्देशों के दायरे में आती है। साथ ही, चूंकि कंपनी मुख्य गतिविधियां संचालित कर रही है, अतः उस पर भाग I और भाग II दोनों लागू होते हैं।

इसके अतिरिक्त, आईएफएससीए कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अलावा, आईएफएससी में स्थित संस्थाओं के लिए, यदि लागू हो**,** तो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पालन करना भी कंपनी के लिए अनिवार्य है।

तदनुसार, कंपनी ने "कॉर्पोरेट गवर्नेंस एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं पर नीति" ('नीति') तैयार की है। यह नीति कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए अनुपालन ढांचा प्रदान करती है तथा इसमें कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस दर्शन, संरचना और प्रकटीकरण आवश्यकताएं शामिल हैं।

2) **प्रयोज्यता**

यह नीति परिपत्र जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

3) **कॉर्पोरेट गवर्नेंस दर्शन एवं संरचना**

क) कॉर्पोरेट गवर्नेंस दर्शन

कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस दर्शन उसके व्यवसाय के कुशल संचालन तथा हितधारकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने पर केंद्रित है। यह दर्शन पारदर्शिता, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा पर विशेष जोर देता है, ताकि हितधारकों का विश्वास सुदृढ़ किया जा सके और दीर्घकालिक सतत व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है:

- कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

- सभी हितधारकों के हितों की सुरक्षा, संवर्धन और संरक्षण हेतु उपयुक्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं का निर्माण करना; तथा
- सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं का पारदर्शी एवं समय पर प्रकटीकरण करके विभिन्न हितधारकों के बीच विश्वास और भरोसा स्थापित करना।

ख) कॉर्पोरेट गवर्नेंस संरचना

पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड ('कंपनी') में गवर्नेंस संरचना निदेशक मंडल से मिलकर बनी है, जिसे सीईओ, सीएफओ, अनुपालन अधिकारी तथा कंपनी सचिव द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

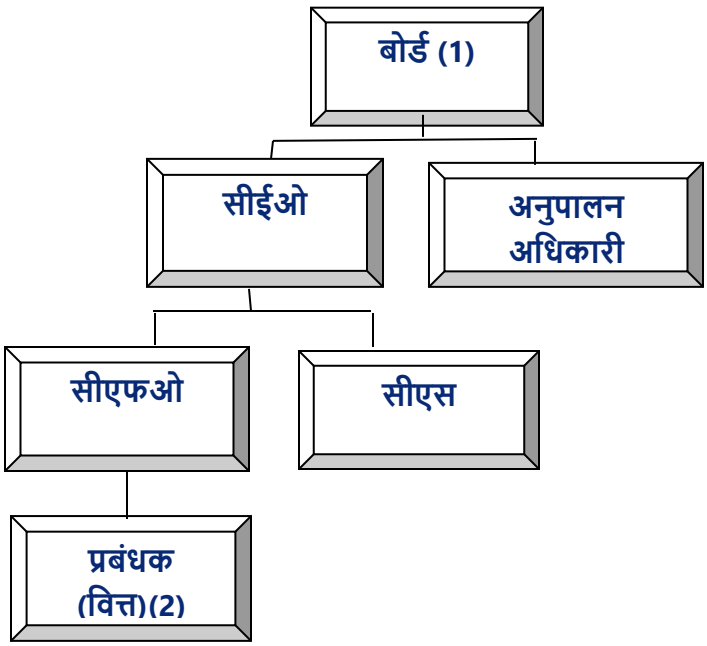

टिप्पणियां

1. वर्तमान में, कंपनी के निदेशक मंडल में चार निदेशक शामिल हैं, अर्थात सुश्री परमिंदर चोपड़ा, श्री राजीव रंजन झा, श्री मनोज शर्मा एवं श्री संदीप कुमार, जो होल्डिंग कंपनी के भी वर्तमान निदेशक हैं तथा जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की गई है।
2. श्री जिग्नेश डी. परमार, प्रबंधक (वित्त), को दिनांक 07.08.2024 से कंपनी में तैनात किया गया है।
3. सीएजी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (11.02.2024 से 31.03.2025 तक) के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स मुकेश कुमार जैन एंड कंपनी को नियुक्त किया है।

ग)निदेशक मंडल

क) बोर्ड की संरचना

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, जब तक कि कंपनी सामान्य सभा में अन्यथा निर्णय न ले, निदेशकों की संख्या तीन से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होगी, जो अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अधीन है। इसके अतिरिक्त, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति और/या पद से हटाना, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अधीन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्वीकृति से किया जाएगा।

वर्तमान में, कंपनी के निदेशक मंडल में चार निदेशक शामिल हैं, जो होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल के भी वर्तमान निदेशक हैं।

ख) बोर्ड की भूमिका

निदेशक मंडल कंपनी को कार्यनीतिक दृष्टि प्रदान करेंगे तथा कॉर्पोरेट उद्देश्यों और व्यावसायिक संचालन की पूर्ति की निगरानी करेंगे। निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों का पालन करे। निदेशक मंडल आवश्यकतानुसार समय-समय पर बैठक करेंगे, ताकि संचालन की समीक्षा की जा सके और व्यावसायिक निर्णय लिए जा सकें।

ग) निदेशक मंडल की समितियां

अपने व्यवसाय संचालन की प्रकृति, आकार और जटिलता के आधार पर, निदेशक मंडल विभिन्न समितियों का गठन कर सकता है, जिनमें लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, हितधारक संबंध समिति या कोई अन्य समिति शामिल हो सकती है, जैसा कि आवश्यक हो या कंपनी अधिनियम, 2013/नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों के अंतर्गत अथवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनिवार्य किया जाए।

सभी समितियों के कार्य-क्षेत्र निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर अनुमोदित/संशोधित किए जाएंगे।

***टिप्पणी:** वर्तमान में, चूंकि कंपनी आईएफएससी गिफ्ट सिटी, गुजरात में स्थापित है, अतः कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत उपलब्ध छूटों के अनुरूप, कंपनी के लिए लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति का गठन करना आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में जोखिम प्रबंधन समिति का गठन भी उक्त अधिनियम के अनुसार आवश्यक नहीं है।*

वर्तमान आकार और संचालन के प्रारंभिक चरण को देखते हुए, कंपनी ने अभी तक किसी समिति का गठन नहीं किया है। हालांकि, व्यवसाय के विस्तार और पैमाने में वृद्धि के साथ, कंपनी आवश्यकतानुसार समितियों के गठन की समीक्षा करेगी।

घ) फिट एंड प्रॉपर मानदंड

i. कंपनी निदेशक मंडल में नियुक्ति/नियुक्ति जारी रखने के लिए किसी व्यक्ति की उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु आवश्यक परिश्रम करेगी। यह मूल्यांकन योग्यता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा तथा अन्य 'फिट एंड प्रॉपर' मानदंडों के आधार पर किया जाएगा, जैसा कि आईएफएससीए प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाता है। यह ड्यू डिलिजेंस कंपनी द्वारा नियुक्ति के समय तथा निदेशक के कार्यकाल के दौरान वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

ii. तदनुसार, ड्यू डिलिजेंस के उद्देश्य से, कंपनी प्रस्तावित निदेशकों से उनकी नियुक्ति के समय तथा वार्षिक आधार पर आवश्यक जानकारी और घोषणा प्राप्त करेगी, जैसा कि आईएफएससीए के कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रारूप के अनुसार (समय-समय पर संशोधित) किया जाता है। वर्तमान प्रारूप **परिशिष्ट-I** में संलग्न है।

टिप्पणी: *वर्तमान में, होल्डिंग कंपनी के निदेशक ही पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी निदेशक हैं। होल्डिंग कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा तथा होल्डिंग कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार की जाती है। तदनुसार, निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की उपयुक्तता जैसे योग्यता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा आदि, जैसा कि आरबीआई, कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य लागू विनियमों द्वारा निर्धारित है, पहले से ही होल्डिंग कंपनी द्वारा सुनिश्चित की जाती है। अतः ये औपचारिकताएं पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड के लिए पूर्ण मानी जाती हैं।*

iii. कंपनी प्रत्येक वर्ष अपने निदेशक मंडल के प्रत्येक सदस्य से एक घोषणा प्राप्त करेगी, जिसमें पहले प्रदान की गई जानकारी में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन (यदि कोई हो) का विवरण दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, यदि पहले दी गई जानकारी में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं भी हुआ हो, तब भी निदेशक मंडल के प्रत्येक सदस्य द्वारा "कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं" संबंधी घोषणा देना अनिवार्य होगा। इस घोषणा का प्रारूप **परिशिष्ट-II** में संलग्न है।

कंपनी द्वारा प्राप्त की गई यह घोषणा कंपनी के लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित की जाएगी, जिसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर आगे आईएफएससीए को प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण को

समय पर जानकारी प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने हेतु, कंपनी यह प्रयास करेगी कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 7 दिनों के भीतर निदेशक मंडल के सदस्यों से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली जाए।

ङ) अन्य

i. **वचनपत्र** - कंपनी निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित एक वचनपत्र प्राप्त करेगी, जिसमें आईएफएससीए के कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों (समय-समय पर संशोधित) में उल्लिखित बिंदु शामिल होंगे, जो निम्नानुसार हैं:

प्रत्येक निदेशक:

- *यह स्वीकार करेंगे कि बोर्ड में उनकी नियुक्ति लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अधीन है तथा वह केवल उन्हीं के अंतर्गत निर्धारित शक्तियों के भीतर ही कार्य करेंगे।*
- *यह वचन देंगे कि वह अपने अधिकारों का प्रयोग सद्भावना में तथा वित्तीय कंपनी के हित में करेंगे।*
- *बोर्ड को सामान्य सूचना द्वारा यह प्रकट करेंगे कि वह अन्य कॉर्पोरेट निकायों में किन पदों, सदस्यताओं या किसी भी प्रकार के हित से जुड़े हैं।*
- *वित्तीय कंपनी के व्यवसाय की समुचित समझ विकसित करेंगे तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित सावधानी, परिश्रम और कौशल के साथ, अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर करेंगे।*
- *अपने कर्तव्यों के निर्वहन में स्वतंत्र निर्णय का प्रयोग करेंगे तथा किसी भी ऐसे विचार या निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे जो वित्तीय कंपनी के हित के अतिरिक्त किसी अन्य विचार पर आधारित हो। वह बोर्ड बैठकों में बिना किसी भय या पक्षपात के अपने विचार व्यक्त करेंगे, किसी भी प्रकार से उत्तरदायित्व से बचने का प्रयास नहीं करेंगे तथा उसे प्राप्त जानकारी का अनुचित उपयोग नहीं करेंगे।*
- *कंपनी के व्यवसाय एवं संचालन पर पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित करने में बोर्ड की सहायता करेंगे, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों का पालन हो रहा है।*
- *यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यदि उसे किसी वास्तविक या संभावित उल्लंघन की जानकारी होती है, जो कंपनी द्वारा लागू कानूनों, नियमों या विनियमों के अंतर्गत हो, तो वह प्राधिकरण को सूचित करेंगे।*

वचनपत्र में यह भी शामिल होगा कि वित्तीय कंपनी ने निदेशकों को संबंधित नियंत्रण प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं, बोर्ड बैठकों में मतदान अधिकार, पारिश्रमिक नीति, इनसाइडर डीलिंग से संबंधित प्रतिबंध, वरिष्ठ कार्यपालकों की नियुक्ति एवं उनके अधिकार, बोर्ड समितियों की चर्चाएं तथा अन्य सभी ऐसी सूचनाओं के बारे में अवगत कराया है, जो उन्हें अपने कार्यों एवं दायित्वों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने हेतु यथोचित रूप से आवश्यक हैं।

वचनपत्र का प्रारूप **परिशिष्ट-III** में संलग्न है।

ii. कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोर्ड के सदस्य संबंधित क्षेत्र में अद्यतन रहें, प्रत्येक वर्ष निदेशक प्रशिक्षण आयोजित करेगी।

घ)अनुपालन अधिकारी

कंपनी बोर्ड की स्वीकृति से एक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करेगी। अनुपालन अधिकारी वरिष्ठ प्रबंधन का एक सदस्य होगा और वह सीधे बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे।
अनुपालन अधिकारी का उत्तरदायित्व बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों एवं प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन/क्रियान्वयन करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों, जिनमें ये दिशानिर्देश भी शामिल हैं, का पालन किया जा रहा है। इसके साथ ही वह कंपनी की सभी आंतरिक नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की निगरानी भी करेंगे, जिसमें सीमित न रहते हुए, किसी भी सांविधिक एवं सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का पालन भी शामिल है।

ङ) सीईओ और सीएफओ की भूमिका

सीईओ कंपनी के व्यवसाय संचालन के समग्र प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए उत्तरदायी होंगे। वह निदेशक मंडल के कार्यनीतिक निर्णयों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि कंपनी की गतिविधियां उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांतों के अनुरूप हों। सीएफओ कंपनी के वित्तीय प्रबंधन की देखरेख के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसमें बजट तैयार करना, वित्तीय रिपोर्टिंग तथा वित्तीय नियमों एवं मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करना शामिल है।

च) संबंधित पक्ष लेनदेन

बोर्ड द्वारा अनुमोदित संबंधित पक्ष लेनदेन संबंधी नीति **परिशिष्ट-IV** में संलग्न है।

छ) प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता

कंपनी सभी हितधारकों, जिनमें नियामक, सांविधिक प्राधिकरण तथा शेयरधारक शामिल हैं, को कानून द्वारा निर्धारित संचार माध्यमों के माध्यम से समय पर प्रकटीकरण करेगी। यह प्रकटीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, आईएफएससीए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों/नीतियों तथा समय-समय पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होगा।
आईएफएससीए कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अंतर्गत वर्तमान प्रकटीकरण आवश्यकताएं **परिशिष्ट-V** में संलग्न हैं।

ज) लेखापरीक्षक

कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।
इसके अतिरिक्त, कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार आवश्यकतानुसार सचिवीय लेखापरीक्षक की नियुक्ति करेगी, ताकि सचिवीय लेखापरीक्षा की जा सके। कंपनी का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को कंपनी के सचिवीय एवं संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा के लिए सभी आवश्यक सहायता एवं सुविधाएं प्रदान करे। धारा 134 के अंतर्गत बनाए गए अपने रिपोर्ट में निदेशक मंडल, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा की गई किसी भी योग्य टिप्पणी, अवलोकन या अन्य टिप्पणी का पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण देंगे।

झ) अनुपालन

कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी व्यक्तिगत रूप से एवं/या संयुक्त रूप से इन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होंगे।

ञ) व्याख्या

यदि किसी परिस्थिति में नियामक ढांचे में परिवर्तन के कारण इस नीति की शर्तें किसी लागू वैधानिक दिशानिर्देश/नीतियों/ढांचे और उनके अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं ('लागू कानून') से भिन्न या उनके विपरीत हो जाती हैं, तो ऐसे मामलों में लागू कानून को इस नीति पर प्राथमिकता दी जाएगी।

ट) शक्तियों का प्रत्यायोजन

इस नीति के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु, कंपनी सचिव की अनुशंसा पर सीईओ सक्षम प्राधिकारी होंगे, जो कार्य कर सकेंगे (i) आवश्यक स्पष्टीकरण/व्याख्या/संचालन संबंधी दिशानिर्देश/प्रक्रियाएं, जिसमें समितियों का गठन भी शामिल है, जारी करना, बशर्ते नीति के उद्देश्य में कोई परिवर्तन न हो; तथा (ii) नियामक परिवर्तनों के कारण आवश्यक होने पर नीति में संशोधन करना।
हालांकि, जब संचालन संबंधी दिशानिर्देश पहली बार तैयार किए जा रहे हों, तो उन्हें अनुमोदन हेतु निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

ठ) नीति की समीक्षा

यह नीति कंपनी द्वारा ऋण संचालन प्रारंभ होने पर या नीति जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, समीक्षा की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, नियामक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को छोड़कर, नीति में किए जाने वाले किसी भी अन्य संशोधन को अनुमोदन हेतु निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

ड) दस्तावेज का उपयोग

यह दस्तावेज पूर्णतः गोपनीय है और केवल आंतरिक उपयोग के लिए है। यह दस्तावेज कंपनी के बाहर व्यापक वितरण के लिए अभिप्रेत नहीं है। कंपनी के बाहर इस दस्तावेज का किसी भी प्रकार का प्रसार करने के लिए कंपनी के सीईओ की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

***

परिशिष्ट I

आईएफएससीए द्वारा निर्धारित प्रारूप

(प्रत्येक निदेशक के संबंध में अलग-अलग प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

क्र. सं.	विवरण	उत्तर	आईएफएससीए द्वारा टिप्पणी
1)	नाम		
2)	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)		
3)	कंपनी में पदनाम		
4)	राष्ट्रीयता। यदि भारतीय नागरिक नहीं हैं, तो कृपया देश का नाम, पासपोर्ट संख्या तथा पासपोर्ट की प्रति प्रदान करें		
		देश:	
		पासपोर्ट संख्या:	
5)	जन्म तिथि	DD\MM\YYYY	
	आवेदन की तिथि के अनुसार आयु	आयु: -- वर्ष	
6)	व्यावसायिक पता (फोन, फैक्स एवं ईमेल सहित)		
7)	आवासीय पता (फोन, फैक्स एवं ईमेल सहित) सहित सहायक दस्तावेज		
8)	आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या (पैन), यदि लागू हो		
9)	शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताएं		
10)	वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में अनुभव (यदि कोई हो)। (कंपनी का नाम, पदनाम, वर्षों में अनुभव आदि का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए)		
11)	क्या प्रमोटर/निदेशक किसी अन्य संस्था से किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं? यदि हां, तो कृपया उन अन्य संगठनों/संस्थाओं/संघों या गैर-पंजीकृत इकाइयों के नाम प्रदान करें, जिनमें संबंधित व्यक्ति ने अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पद धारित है, या किसी अन्य रूप में संबद्ध रहे हैं। साथ ही, उस कंपनी/संस्था की गतिविधियों तथा संबंधित विनियामक (यदि कोई हो) का भी उल्लेख करें।	हां/नहीं	
12)	घोषणा: मैं, श्री/सुश्री _____, (आवेदक कंपनी का नाम) का प्रमोटर/निदेशक, यह पुष्टि करता/करती हूं कि मैंने विनियमों में परिभाषित अनुसार कोई भी		

	सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।		
13)	**क्या प्रमोटर/निदेशक या निदेशक के किसी रिश्तेदार, या उन कंपनियों/संस्थाओं में जिनसे निदेशक जुड़े हैं/थे, ने किसी भी संस्था या बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में वर्तमान में चूक की है या पूर्व में की है?** **यदि हां, तो कृपया चूक का विवरण और ऋण प्रदान करने वाली संस्था/बैंक का नाम प्रदान करें।**	**हां/नहीं**	
14)	**क्या प्रमोटर/निदेशक को किसी भी ऐसे कानून के अंतर्गत, जहां आवेदक संस्था या उसकी समूह कंपनियां कार्यरत हैं, प्रमोटर/निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है?**	**हां/नहीं**	
15)	**उन कंपनियों, फर्मों या साझेदारी फर्मों के नाम, जिनमें प्रमोटर/निदेशक का महत्वपूर्ण हित है।**		
16)	**क्या कंपनी या उसके किसी भी प्रमोटर/निदेशक के विरुद्ध किसी भी कानून प्रवर्तन या नियामक एजेंसी द्वारा कोई जांच / अनुशासनात्मक कार्रवाई / कानूनी या नियामक उल्लंघन / आपराधिक मामला चलाया गया है या वर्तमान में चल रहा है? यदि हाँ, तो कृपया उसका विवरण प्रदान करें।**	**हां/नहीं**	
17)	**क्या किसी दिवालियापन/समाधान प्राधिकरण द्वारा किसी ऐसी कंपनी के विरुद्ध कोई आदेश पारित किया गया है, जिससे प्रमोटर/निदेशक जुड़े हुए हैं? यदि हाँ, तो कृपया उसका विवरण प्रदान करें।**	**हां/नहीं**	
18)	**क्रेडिट रिपोर्ट / सूचना / स्कोर** **(यदि कोई प्रतिकूल टिप्पणी हो तो उसे शामिल किया जाए)**		
	हस्ताक्षर:		
	नाम:		
	पदनाम		
	कंपनी मुहर:		
	दिनांक: ***स्थान:***		

परिशिष्ट II

निदेशकों के लिए वार्षिक घोषणा
(प्रत्येक निदेशक के संबंध में अलग फॉर्म प्रस्तुत किया जाना चाहिए)
वित्तीय वर्ष ..... के लिए घोषणा और वचनबद्धता

I. निदेशक का व्यक्तिगत विवरण		
क	पूर्ण नाम	
ख	जन्म तिथि	
ग	शैक्षिक योग्यता	
घ	संबंधित पृष्ठभूमि, ज्ञान एवं अनुभव	
ड.	स्थायी पता	
च	वर्तमान पता	
छ	ई-मेल पता / टेलीफोन नंबर	
ज	स्थायी खाता संख्या	
झ	पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक पद हेतु प्रासंगिक कोई अन्य जानकारी	
घोषणाओं का प्रस्तुतिकरण		
क	**मैं यह स्वीकार करता/करती हूं कि निदेशक मंडल में मेरी नियुक्ति लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अध्यधीन है और मैं उन्हीं के अनुसार निर्धारित शक्तियों के भीतर कार्य करूंगा/करूंगी।**	
ख	**मैं वचनबद्ध हूं कि मुझे निहित शक्तियों का प्रयोग सद्भावना तथा कंपनी के हित में करूंगा/करूंगी।**	
ग	**मैं निदेशक मंडल को अपने अन्य कॉर्पोरेट निकायों में निदेशक पदों, सदस्यताओं या किसी भी प्रकार की रुचि के संबंध में सामान्य सूचना प्रस्तुत करूंगा/करूंगी।**	
घ	**मैं कंपनी के व्यवसाय की उचित समझ ग्रहीत करूंगा/करूंगी और अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित सावधानी, परिश्रम एवं कौशल के साथ, अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर करूंगा/करूंगी।**	

ड.	**मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय स्वतंत्र निर्णय का प्रयोग करूंगा/करूंगी तथा कंपनी के हित के अलावा किसी अन्य विचार से बोर्ड के किसी निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करूंगा/करूंगी। मैं बोर्ड की बैठकों में बिना किसी भय या पक्षपात के अपने विचार और राय व्यक्त करूंगा/करूंगी, किसी भी रूप में जिम्मेदारी का निर्वहन करने से माना नहीं करूंगा/करूंगा तथा मुझे उपलब्ध कराई गई जानकारी का अनुचित उपयोग नहीं करूंगा/करूंगी।**
च	**मैं कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर उचित निगरानी सुनिश्चित करने, विशेष रूप से सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड की सहायता करूंगा/करूंगी।**
छ	**मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा/करूंगी कि कंपनी द्वारा किसी भी लागू कानून, नियम या विनियम के वास्तविक या संभावित उल्लंघन की जानकारी होने पर मैं आईएफएससी अथॉरिटी को सूचित करूंगा/करूंगी।**
ज	**मैं यह स्वीकार करता/करती हूं कि मुझे प्रासंगिक नियंत्रण प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं, बोर्ड बैठकों में मतदान अधिकार, पारिश्रमिक नीति, इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित प्रतिबंध, वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति एवं उनकी शक्तियों, बोर्ड की समितियों की कार्यवाही तथा अन्य सभी आवश्यक जानकारी के बारे में अवगत कराया गया है, जो मुझे निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए आवश्यक है।**

V **उपयुक्तता के आकलन हेतु प्रासंगिक जानकारी में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की सूचना।**

वचनबद्धता

मैं यह पुष्टि करता/करती हूं कि उपर्युक्त जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है। मैं वचनबद्ध हूं कि अपनी नियुक्ति के पश्चात घटित होने वाली सभी ऐसी घटनाओं की जानकारी, जो उपर्युक्त दी गई सूचना से संबंधित हों, यथाशीघ्र पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड को प्रदान करता/करती रहूंगा/रहूंगी।

मैं वचनबद्ध हूं कि पीएफसी के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले डीड ऑफ कोवनेंट को मैं भी विधिवत निष्पादित करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर

स्थान :
दिनांक :

परिशिष्ट III

निदेशक के साथ अनुबंध-पत्र

यह अनुबंध-पत्र आज दिनांक ___ _____ दो हजार ___ को **पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड**, जिसका पंजीकृत कार्यालय **गुजरात** में स्थित है (जिसे आगे "पीएफसी इंफ्रा" कहा जाएगा) एक पक्ष के रूप में और श्री / सुश्री _____ (जिसे आगे "निदेशक" कहा जाएगा) दूसरे पक्ष के रूप में, के बीच निष्पादित किया गया।

जबकि

क. निदेशक को पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है (जिसे आगे "बोर्ड" कहा जाएगा) और उनकी नियुक्ति की शर्त के रूप में उन्हें पीएफसी इंफ्रा के साथ यह अनुबंध-पत्र निष्पादित करना आवश्यक है।

ख. निदेशक ने अपनी नियुक्ति की उक्त शर्तों के अनुसार, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, इस अनुबंध-पत्र में प्रवेश करने के लिए सहमति व्यक्त की है।

अतः अब यह सहमति की जाती है और यह अनुबंध-पत्र निम्नानुसार प्रमाणित करता है:

1. निदेशक यह स्वीकार करते हैं कि पीएफसी इंफ्रा के बोर्ड में निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति लागू कानूनों और विनियमों, जिनमें पीएफसी इंफ्रा के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तथा इस अनुबंध-पत्र के प्रावधान शामिल हैं, के अध्यधीन है।
2. निदेशक पीएफसी के साथ निम्नलिखित प्रतिज्ञाएं करते हैं:

    क) निदेशक यह स्वीकार करते हैं कि बोर्ड में निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अध्यधीन है और वे उन्हीं में निर्धारित शक्तियों के भीतर कार्य करेंगे।

    ख) निदेशक यह वचन देते हैं कि उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग सद्भावना में तथा कंपनी के हित में करेंगे।

    ग) निदेशक बोर्ड को सामान्य सूचना के माध्यम से अपने अन्य कंपनियों में निदेशक पद, सदस्यता या किसी भी प्रकार की रुचि का प्रकटीकरण करेंगे।

    घ) निदेशक कंपनी के व्यवसाय की उचित समझ विकसित करेंगे और अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर सावधानी, परिश्रम और कौशल के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

    ङ) निदेशक अपने कर्तव्यों के निर्वहन में स्वतंत्र निर्णय का प्रयोग करेंगे तथा कंपनी के हित के अलावा किसी अन्य लाभ के लिए बोर्ड के किसी निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे। वे बोर्ड की बैठकों में बिना किसी भय या पक्षपात के अपने विचार और मत व्यक्त करेंगे, किसी भी रूप में जिम्मेदारी से नहीं बचेंगे तथा उन्हें प्रदान की गई जानकारी का अनुचित उपयोग नहीं करेंगे।

    च) निदेशक बोर्ड को वित्त कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर पर्याप्त निगरानी रखने में सहायता करेंगे, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन हो रहा है।

    छ) निदेशक यह भी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि यदि उन्हें कंपनी द्वारा किसी भी लागू कानून, नियम या विनियम के वास्तविक या संभावित उल्लंघन की जानकारी मिलती है, तो वे इसकी सूचना प्राधिकरण को देंगे।

    ज) निदेशक यह स्वीकार करते हैं कि कंपनी ने उन्हें संबंधित नियंत्रण प्रणालियों और प्रक्रियाओं, बोर्ड बैठकों में मताधिकार, पारिश्रमिक नीति, इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंध, वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी शक्तियां, बोर्ड की समितियों की कार्यवाही, तथा उनके कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक अन्य सभी जानकारी से अवगत करा दिया है।

इसके प्रमाणस्वरूप दोनों पक्षों ने इस करार को ऊपर लिखित दिन, माह और वर्ष में विधिवत निष्पादित किया है।

कृते **पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड**

निदेशक का नाम

नाम:
पदनाम:

साक्षी:

1.
2.

पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड

संबंधित पक्ष लेनदेन के साथ डीलिंग संबंधी नीति

सितंबर 2024

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित

1) पृष्ठभूमि

पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड ('कंपनी') (पीएफसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह एक वित्तीय कंपनी के रूप में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी), गिफ्ट सिटी, गुजरात में स्थापित की गई है और इसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी (आईएफएससीए) द्वारा विनियमित किया जाता है।

आईएफएससीए द्वारा 9 अगस्त 2021 को एक वित्त कंपनी के लिए निगमित शासन और प्रकटीकरण अपेक्षाओं संबंधी दिशानिर्देश (''आईएफएससीए निगमित शासन दिशानिर्देश'') जारी किए गए हैं, जो उसके साथ पंजीकृत वित्त कंपनियों पर लागू होते हैं।

इन दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय कंपनी को संबंधित पक्ष लेनदेन के सभी पहलुओं को संबोधित करने वाली एक निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति बनानी आवश्यक है। इस नीति की समय-समय पर वित्त कंपनी के बोर्ड द्वारा समीक्षा भी की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम 2013 में संबंधित पक्ष लेनदेन से जुड़े प्रावधान आईएफएससी में पंजीकृत कंपनियों पर कुछ संशोधनों के साथ लागू होते हैं।

तदनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए "संबंधित पक्ष लेनदेन से संबंधित नीति" ('नीति') तैयार की गई है।

1) प्रयोज्यता

यह नीति पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड ('कंपनी') और इसमें यथा परिभाषित उसके संबंधित पक्षों के बीच होने वाले सभी लेनदेन पर लागू होगी।

यह नीति परिपत्र जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2) परिभाषाएं

क) **"आर्म्स लेंथ लेनदेन"** से अभिप्रेत होगा कि दो संबंधित पक्षों के बीच ऐसा लेनदेन जो इस प्रकार किया जाए मानो वे असंबंधित हों, जिससे किसी प्रकार का हितों का टकराव न हो।

ख) **"निदेशक मंडल"** से अभिप्रेत होगा कि कंपनी के सभी निदेशकों का सामूहिक समूह।

ग) **"कंपनी"** से अभिप्रेत होगा पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड।

घ) "**सरकारी कंपनी**" से अभिप्रेत होगा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उप धारा (45) के अंतर्गत यथा परिभाषित सरकारी कंपनी।

ङ) **"नीति"** से अभिप्रेत होगा संबंधित पक्ष लेनदेन से डीलिंग संबंधी नीति।

च) **"संबंधित पक्ष"** कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(76) के अनुसार संबंधित पक्ष में शामिल हैं:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (76) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, किसी कंपनी के संदर्भ में संबंधित पक्ष को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है –

(i) निदेशक या उनके संबंधी;

(ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी;

(iii) वह फर्म जिसमें निदेशक/प्रबंधक या उनके संबंधी साझेदार हो;

(iv) वह निजी कंपनी जिसमें निदेशक/प्रबंधक या उनके संबंधी सदस्य या निदेशक हो;

(v) वह सार्वजनिक कंपनी जिसमें निदेशक/प्रबंधक निदेशक हो और अपने संबंधियों के साथ मिलकर 2% से अधिक शेयर रखते हों;

(vi) कोई कॉर्पोरेट संस्था जिसका बोर्ड या प्रबंधक किसी निदेशक के निर्देशों के अनुसार कार्य करते हों;

(vii) कोई व्यक्ति जिसके निर्देशों के अनुसार निदेशक या प्रबंधक कार्य करते हों;

बशर्ते कि उप-खंड (vi) और (vii) में निहित कोई भी प्रावधान उस सलाह, निर्देश या निर्देशों पर लागू नहीं होगा जो पेशेवर क्षमता में दिए गए हों;

(viii) कोई कंपनी जो*-

(क) ऐसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी, सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी; या

(ख) किसी होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी, जिसकी यह कंपनी भी सहायक कंपनी हो;

(ग) निवेशक कंपनी या कंपनी का संयुक्त उद्यम

स्पष्टीकरण: निवेशक कंपनी या कंपनी के उद्यम से आशय ऐसे निगमित निकाय से है, जिसके द्वारा कंपनी में किया गया निवेश इस परिणाम तक पहुंचे कि वह कंपनी उस निगमित निकाय की सहयोगी कंपनी बन जाए।

**नोट: एमसीए की 5 जनवरी, 2017 की अधिसूचना के अनुसार, निर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी के मामले में धारा 2 की उपधारा (76) के खंड (viii) का प्रावधान धारा 188 के संबंध में लागू नहीं होगा।*

(ix) होल्डिंग कंपनी का कोई निदेशक (स्वतंत्र निदेशक को छोड़कर) या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी

(x) अन्य व्यक्ति जिन्हें निर्धारित किया गया हो।

छ) **"संबंधित पक्ष लेनदेन" (आरपीटी):** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार, किसी संबंधित पक्ष के साथ किए गए निम्नलिखित प्रकार के सभी अनुबंध या व्यवस्थाएं शामिल होती हैं:

क. किसी भी वस्तु या सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति;

ख. किसी भी प्रकार की संपत्ति की बिक्री, अन्य तरीके से निपटान, या खरीद**;**

ग. किसी भी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना या लेना;

घ. किसी भी प्रकार की सेवाओं को प्राप्त करना या प्रदान करना;

ङ. वस्तुओं, सामग्रियों, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति;

च. उस संबंधित पक्ष की कंपनी, उसकी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी में किसी पद या लाभ के स्थान पर नियुक्ति;

छ. कंपनी की किसी भी प्रतिभूति या उसके डेरिवेटिव की सदस्यता के अंडरराइटिंग से संबंधित व्यवस्था।

ज) **"संबंधी"** से अभिप्रेत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार है।

किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में, "संबंधी" वह व्यक्ति होगा जो दूसरे व्यक्ति से निम्न प्रकार से संबंधित हो, यदि-

(i) वे हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हों;

(ii) वे पति और पत्नी हों; या

(iii) एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से निम्न प्रकार से संबंधित हो:

(क) पिता (सौतेले पिता सहित)

(ख) माता (सौतेली माता सहित)

(ग) पुत्र (सौतेला पुत्र सहित)

(घ) पुत्र की पत्नी

(ङ) पुत्री

(च) पुत्री का पति

(छ) भाई (सौतेला भाई सहित)

(ज) बहन (सौतेली बहन सहित)

इस नीति में प्रयुक्त सभी शब्द और अभिव्यक्तियां, जब तक यहां पर परिभाषित न हों, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत समय-समय पर बनाए या जारी किए गए नियम, अधिसूचनाओं और परिपत्र तथा लागू लेखांकन मानकों में दिया गया है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

3) संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुमोदन की प्रक्रिया

क. <u>निदेशक मंडल का अनुमोदन</u>

I. कंपनी के निदेशक मंडल का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा, जो बोर्ड की बैठक में संकल्प पारित करके प्राप्त की जाएगी:

(क) सभी संबंधित पक्ष लेनदेन, सिवाय उन लेनदेन के जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में और आर्म्स लेंथ आधार पर किए गए हों।

(ख) वे संबंधित पक्ष लेनदेन जिनके लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यक होती है, जैसा कि पैरा 4(बी) में वर्णित है।

II. आरपीटी के अनुमोदन हेतु बोर्ड बैठक के एजेंडा में निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण किया जाएगा-

(क) संबंधित पक्ष का नाम तथा उसके साथ संबंध की प्रकृति;

(ख) अनुबंध या व्यवस्था की प्रकृति, अवधि तथा उसके विवरण;

(ग) अनुबंध या व्यवस्था की महत्वपूर्ण शर्तें, जिसमें यदि लागू हो तो लेनदेन का मूल्य भी शामिल होगा;

(घ) यदि कोई हो, तो अनुबंध या व्यवस्था के लिए दिया गया या प्राप्त किया गया अग्रिम;

(ङ) मूल्य निर्धारण और अन्य व्यावसायिक शर्तों को निर्धारित करने का तरीका, चाहे वे अनुबंध का हिस्सा हों या अनुबंध का हिस्सा न माने गए हों;

(च) क्या अनुबंध से संबंधित सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार किया गया है; यदि नहीं, तो जिन कारकों पर विचार नहीं किया गया उनके विवरण और उन्हें शामिल न करने का कारण; और

(छ) प्रस्तावित लेनदेन पर निर्णय लेने के लिए निदेशक मंडल के लिए आवश्यक या महत्वपूर्ण कोई अन्य जानकारी।

III. यदि कोई निदेशक किसी संबंधित पक्ष लेनदेन में रुचि रखता है, तो वह निदेशक ऐसे लेनदेन से संबंधित संकल्प पर चर्चा और मतदान से स्वयं को अलग रखेगा।

ख) <u>शेयरधारकों का अनुमोदन</u>

I. कंपनी के शेयरधारकों के पूर्व अनुमोदन, साधारण संकल्प के माध्यम से, नीचे उल्लेखित लेनदेन के लिए आवश्यक होगी। अनुमोदन प्राप्त करते समय निदेशक मंडल की सिफारिशें पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी के शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी।

i) ऐसे संबंधित पक्ष लेनदेन जो आर्म्स लेंथ आधार पर नहीं हैं या व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं हैं, तथा जो कंपनी (बोर्ड की बैठकें एवं इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 15(3) में निर्धारित निम्न सीमाओं से अधिक हैं (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है), जो वर्तमान में इस प्रकार हैं:

(क)	सीधे या किसी एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से किसी भी वस्तु या सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति;	कंपनी के टर्नओवर का 10% या उससे अधिक
(ख)	सीधे या किसी एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से किसी भी प्रकार की संपत्ति की बिक्री, अन्य तरीके से निपटान या खरीद;	कंपनी की नेट वर्थ का 10% या उससे अधिक
(ग)	किसी भी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना या लेना;	कंपनी के टर्नओवर का 10% या उससे अधिक
(घ)	सीधे या किसी एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से किसी भी प्रकार की सेवाओं को प्राप्त करना या प्रदान करना;	कंपनी के टर्नओवर का 10% या उससे अधिक
(ये सीमाएं उस लेनदेन या लेनदेन के समूह पर लागू होंगी, जिन्हें किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अलग-अलग किया गया हो या उस वित्तीय वर्ष में पहले किए गए लेनदेन के साथ मिलाकर देखा गया हो)		
(ड.)	कंपनी, उसकी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी में किसी संबंधित पक्ष की किसी पद या लाभ के स्थान पर	₹2.5 लाख प्रति माह से अधिक मासिक वेतन

	नियुक्ति	
(च)	कंपनी की किसी भी प्रतिभूति या उसके डेरिवेटिव की सदस्यता के अंडरराइटिंग से संबंधित व्यवस्था	कंपनी की नेट वर्थ का 1% से अधिक होना

(टर्नओवर या नेट वर्थ की गणना कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर की जाएगी।)

II. कोई भी संबंधित पक्ष ऐसे संकल्पों को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेगा, चाहे वह संबंधित पक्ष संस्था उस विशेष लेनदेन से जुड़ा हो या न हो।

III. तथापि, निम्नलिखित संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी:

i) होल्डिंग कंपनी और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच, जिनके खाते उस होल्डिंग कंपनी के साथ समेकित रूप से तैयार किए गए हों और शेयरधारकों की आम बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए गए हों;

ii) दो सरकारी कंपनियों के बीच;

iii) सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच, जिनके खाते होल्डिंग कंपनी के साथ समेकित रूप से तैयार किए गए हों और शेयरधारकों की आम बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए गए हों।

IV. आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न की जाने वाली व्याख्यात्मक टिप्पणी में, शेयरधारकों से आरपीटी के अनुमोदन प्राप्त करते समय, निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:

(क) संबंधित पक्ष का नाम;

(ख) निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का नाम, जो संबंधित पक्ष से संबंधित हो, यदि कोई हो;

(ग) संबंध की प्रकृति;

(घ) अनुबंध या व्यवस्था की प्रकृति, महत्वपूर्ण शर्तें, वित्तीय मूल्य और अन्य विवरण;

(ङ) प्रस्तावित संकल्प पर निर्णय लेने के लिए सदस्यों के लिए प्रासंगिक या महत्वपूर्ण अन्य जानकारी।

टिप्पणी: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति के कार्य विवरण में कंपनी के संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुमोदन या किसी बाद के संशोधन शामिल होते हैं। हालांकि, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की 4 जनवरी

2017 की अधिसूचना के अनुसार, यदि यह विशिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी[1] हो, तो धारा 177 लागू नहीं होती। तदनुसार, पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड के लिए उपर्युक्त धारा 177 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति के माध्यम से संबंधित पक्ष के साथ कंपनी के लेनदेन के अनुमोदन या संशोधन लागू नहीं होगा।

हालांकि, यदि भविष्य में कभी लेखापरीक्षा समिति का गठन किया जाता है, तो इस नीति की समीक्षा तदनुसार की जाएगी।

4) प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम और संबंधित प्राधिकरण द्वारा आवश्यक सभी प्रकटीकरण संबंधित पक्ष लेनदेन के संदर्भ में समुचित रूप से प्रस्तुत की जाएंगी।

5) इस नीति के तहत गैर-अनुमोदित संबंधित पक्ष लेनदेन

यदि कंपनी को कोई ऐसा संबंधित पक्ष लेनदेन ज्ञात होता है, जिसे इस नीति के अनुसार पूर्व अनुमोदन के बिना किया गया हो, तो इस मामले की समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। बोर्ड इस लेनदेन से जुड़े सभी प्रासंगिक तथ्य और परिस्थितियों का मूल्यांकन करेगा और कंपनी के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों पर विचार करेगा, जिसमें लेनदेन को मान्यता देना, उसमें संशोधन करना या लेनदेन को समाप्त करना शामिल है। साथ ही, बोर्ड यह भी जांच करेगा कि ऐसा लेनदेन बोर्ड को रिपोर्ट न करने में किन कारणों से असफल रहा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में हुई विफलताओं का विश्लेषण करेगा। इसके आधार पर बोर्ड वह सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा जिसे वह उचित समझे, ताकि कंपनी के हित सुरक्षित रहें और नीति के उल्लंघन के प्रभाव का समुचित प्रबंधन हो सके।

यदि किसी मामले में निदेशक मंडल यह निर्णय लेता है कि बिना अनुमोदन के प्रारंभ किए गए संबंधित पक्ष लेनदेन को मान्यता नहीं दी जाएगी, तो बोर्ड आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है। ऐसी कार्रवाइयों में, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, लेनदेन को समाप्त करना, शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना, या बोर्ड के निर्णयानुसार चूककर्ता व्यक्ति द्वारा संबंधित पक्ष या कंपनी को क्षतिपूर्ति का भुगतान करना आदि शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, किसी भी संबंधित पक्ष लेनदेन की समीक्षा या स्वीकृति के संबंध में, बोर्ड को इस नीति के किसी भी प्रक्रियात्मक अपेक्षा को संशोधित करने या उससे छूट देने का अधिकार होगा।

6) सीमाएं

यदि कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य सांविधिक अधिनियम, नियमों में कोई संशोधन/परिवर्तन किया जाता है, या इस नीति के प्रावधानों और किसी सांविधिक अधिनियम या नियमों के प्रावधानों के बीच कोई विरोध उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या अन्य लागू सांविधिक अधिनियमों और नियमों के प्रावधान इस नीति पर लागू होंगे। तदनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा उन्हीं प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

7) व्याख्या

यदि किसी भी परिस्थिति में नियामक फ्रेमवर्क में परिवर्तन के कारण इस नीति की शर्तें किसी लागू सांविधिक दिशा-निर्देशों/नीतियों/फ्रेमवर्क तथा उनके अंतर्गत लागू कानूनों से भिन्न हो जाती हैं या उनके साथ विरोध उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में लागू कानून को इस नीति पर प्राथमिकता प्राप्त होगी।

8) शक्तियों का प्रत्यायोजन

इस नीति के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए, कंपनी सचिव की सिफारिश पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी माना जाएगा, जो (i) आवश्यक स्पष्टीकरण, व्याख्या, संचालन संबंधी दिशा-निर्देश और प्रक्रियाएं, तथा आवश्यकता अनुसार समिति का गठन भी जारी कर सकते हैं, बशर्ते कि इससे नीति के मूल उद्देश्य में कोई परिवर्तन न हो**,** (ii) यदि किसी विनियामक परिवर्तन के कारण आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो सीईओ नीति में आवश्यक संशोधन भी कर सकते हैं।

हालांकि, जब संचालन संबंधी दिशा-निर्देश पहली बार तैयार किए जाएंगे, तो उन्हें निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

9) समीक्षा

यह नीति कंपनी द्वारा ऋण संचालन के प्रारंभ होने पर या नीति जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, समीक्षा की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, यदि नीति में विनियामक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अतिरिक्त कोई अन्य संशोधन किए जाते हैं, तो उन्हें निदेशक मंडल की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

10) दस्तावेज का उपयोग

यह दस्तावेज पूर्णतः गोपनीय है और केवल आंतरिक उपयोग के लिए है। यह दस्तावेज कंपनी के बाहर व्यापक वितरण के लिए अभिप्रेत नहीं है। कंपनी के बाहर किसी भी प्रकार का प्रसार करने के लिए कंपनी के सीईओ की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

परिशिष्ट V

आईएफएससीए निगमित शासन दिशानिर्देशों के खंड 10 के अंतर्गत प्रकटीकरण और पारदर्शिता आवश्यकताएं

कंपनी अधिनियम, 2013 और इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के अतिरिक्त, वित्त कंपनी यह भी सुनिश्चित करेगी कि हितधारकों को प्रदान की गई जानकारी, जैसा भी मामला हो, समय पर, सटीक, प्रासंगिक हो तथा भ्रामक न हो।

10.1 निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

वित्त कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल के समक्ष कम से कम निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की जाए:

(i) वार्षिक परिचालन योजना और बजट, पूंजीगत बजट तथा उनसे संबंधित अद्यतन जानकारी।

(ii) वित्त कंपनी का तिमाही परिणाम।

(iii) बोर्ड द्वारा गठित समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।

(iv) निदेशकों में हुए किसी भी परिवर्तन का विवरण, तथा उनके संबंध में 'फिट एंड प्रॉपर' मानदंडों के अनुपालन की पुष्टि करने वाली घोषणा।

(v) कोई भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल घटना जो वित्त कंपनी, उसकी संपत्ति या उसके संचालन को प्रभावित कर सकती हो।

(vi) ऐसे लेनदेन जिनमें गुडविल, ब्रांड वैल्यू या बौद्धिक संपदा के लिए महत्वपूर्ण भुगतान शामिल हो, तथा ऐसे अन्य लेनदेन जो कंपनी के सामान्य व्यवसाय से अन्य हों।

(vii) निगमित शासन और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के ढांचे का अनुपालन।

(viii) आंतरिक नीतियों, मानकों, जोखिम सीमाओं के किसी भी महत्वपूर्ण उल्लंघन, तथा इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।

10.2 वित्त कंपनी की वेबसाइट पर किए जाने वाले प्रकटीकरण:

वित्त कंपनी अपनी वेबसाइट पर, जहां भी उपलब्ध हो, तथा/अथवा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आवश्यक जानकारी का प्रसार करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) वित्त कंपनी तथा उसके समूह के बारे में मूलभूत जानकारी;

(ii) वित्त कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट;

(iii) निगमित शासन रिपोर्ट, जो कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप हो;

(iv) अन्य कोई महत्वपूर्ण जानकारी, यदि कोई हो।

10.3 वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस) में किए जाने वाले प्रकटीकरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण के अतिरिक्त, वित्त कंपनी अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में निम्नलिखित जानकारी भी शामिल करेगी:

(i) स्वामित्व निधि के घटक तथा उनसे संबंधित अन्य जानकारी;

(ii) यदि कोई हो, तो ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर का विवरण;

(iii) कंपनी की परिसंपत्ति देयता प्रोफाइल;

(iv) मूल कंपनी द्वारा किए गए वित्तपोषण की सीमा;

(v) व्यावसायिक अनुपात जैसे आरओई और आरओए;

(vi) एनपीए की एकाग्रता, जिसमें शीर्ष पांच एनपीए के प्रति कुल एक्सपोजर शामिल हो;

(vii) तुलन पत्र में प्रावधान से संबंधित प्रकटीकरण;

(viii) किसी भी वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकरण का विवरण;

(ix) किसी भी सांविधिक प्राधिकरण या वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा लगाए गए दंड या जुर्माने, तथा निरीक्षण रिपोर्ट या अन्य प्रतिकूल निष्कर्षों के आधार पर दिए गए निर्देश या टिप्पणियां।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

कंपनी को 11 फरवरी, 2024 को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी (डबल्यूओएस) के रूप में निगमित किया गया था। इसे 10 अक्तूबर, 2024 को एक वित्त कंपनी के रूप में व्यवसाय शुरू करने के लिए पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ।

I. औद्योगिक संरचना एवं विकास

भारतीय विद्युत क्षेत्र में गतिशील परिवर्तन हुआ है, जिसमें विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन क्षमता में पर्याप्त प्रगति हुई है। पारेषण और वितरण इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के साथ-साथ यह त्वरित वृद्धि हमारे देश को बढ़ती विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए सशक्त बना रही है। वित्तीय वर्ष 24 में, विद्युत मंत्रालय ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को अधिसूचित किया है, जो उद्योगों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और कार्बन क्रेडिट अर्जित करने के लिए सशक्त बनाता है। यह पहल परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा देती है, जिससे भारत वैश्विक हरित वित्त में अग्रणी बन जाता है। इसका उद्देश्य अक्तूबर 2026 तक अनिवार्य क्षेत्रों और अप्रैल 2026 तक स्वैच्छिक क्षेत्रों के प्रमाणपत्रों के व्यापार को चालू करना है।

II. गुण एवं दोष

गुण

आपकी कंपनी पीएफसी द्वारा समर्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा विद्युत क्षेत्र का वित्तपोषक और बहुसंख्यक सरकारी स्वामित्वाधीन एक महारत्न पीएसयू है। यह उच्च साख प्रदान करता है, जिससे आपकी कंपनी प्रतिस्पर्धी दरों पर वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने और एक प्रबंधित लिक्विडिटी प्रोफाइल बनाए रखने में सक्षम होती है। आपकी कंपनी आईएफएससी में विद्युत और इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण देने के लिए समर्पित पहली एनबीएफसी है। यह अग्रणी स्थिति इसे प्रथम-प्रस्तावक लाभ देती है और इसे अंतरराष्ट्रीय पूंजी के लिए एक प्रमुख सरकारी चैनल के रूप में स्थापित करती है। मूल कंपनी अर्थात पीएफसी भारत का सबसे बड़ा विद्युत क्षेत्र वित्तपोषक है, हमने लगभग 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का समर्थन किया है - जो भारत के गैर-जीवाश्म ईंधन स्थापित आधार का लगभग 25% है - जिससे यह देश में सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषक बन गया है। ऊर्जा परिवर्तन के लिए विदेशी मुद्रा ऋण देने के लिए आपकी कंपनी इस विशेषज्ञता और मजबूत हरित साख का सीधे लाभ उठाती है।

दोष

- आईएफएससीए (आईएफएससी पब्लिक कंपनियों के लिए विनियामक प्राधिकरण) अपने साथ पंजीकृत फाइनेंस कंपनियों के लिए "एक्सपोजर सीमा की गणना संबंधी एक फ्रेमवर्क" निर्धारित करता है। पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड एक वित्त कंपनी होने के नाते, उपर्युक्त आईएफएससीए एक्सपोजर फ्रेमवर्क के दायरे में आती है। यह फ्रेमवर्क फाइनेंस कंपनी द्वारा किसी एक काउंटरपार्टी या संबद्ध काउंटरपार्टियों के समूह को दिए जाने वाले एक्सपोजर को विनियमित करता है, जो हर समय पत्र पूंजी आधार के पच्चीस प्रतिशत तक सीमित है। इससे विदेशी मुद्रा में ऋण देने के पैमाने पर रोक लगेगी। एक नई निगमित कंपनी होने के नाते, कंपनी

का प्रचालन इतिहास और वित्तीय सक्षमता स्थापित आईएफएससी प्लेयर्स की तुलना में सीमित है, जो इसके ऋण देने के पैमाने को भी सीमित कर सकता है।

III. अवसर एवं खतरे

गिफ्ट सिटी से प्रचालन करने पर महत्वपूर्ण विनियामक प्रोत्साहन मिलते हैं, जिनमें कर छूट और विदेशी मुद्रा में निधि जुटाव की सुविधा शामिल है। इससे आपकी कंपनी को घरेलू परिचालनों की तुलना में वैश्विक पूंजी के कहीं अधिक व्यापक और गहरे स्रोतों तक पहुंच प्राप्त होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर (विद्युत से अन्य) और स्वच्छ प्रौद्योगिकी (जैसे ईवी, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज) को लेकर सरकार का बल एक व्यापक नया बाजार तैयार करता है। आपकी कंपनी मिश्रित वित्त मॉडल विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य कर सकती है, जहां अपने सार्वजनिक क्षेत्र के समर्थन का उपयोग कर निजी परियोजनाओं के जोखिम को कम किया जा सके और संस्थागत व परोपकारी पूंजी को जलवायु कार्रवाई की ओर प्रवाहित किया जा सके, जिससे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 1.7 ट्रिलियन डॉलर की वित्तपोषण कमी को पूरा करने में मदद मिले। वैश्विक स्तर पर मानकीकृत ग्रीन फाइनेंस टैक्सोनॉमी के अभाव से कुछ जटिल हरित/संक्रमण परियोजनाओं के वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निवेश आकर्षित करने में अनिश्चितता और जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। आईएफएससी में पीआईएफआईएल को वैश्विक वित्तीय संस्थानों (एफआई) और प्रमुख बैंकों से प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विदेशी मुद्रा ऋण भी प्रदान करते हैं; इससे ऋण मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है। आईएफएससी का उभरता और विकसित होता विनियामक वातावरण, यद्यपि अनुकूल है, भविष्य में बदल सकता है, जिससे कर या परिचालन लाभ प्रभावित हो सकते हैं और निरंतर तथा महंगे अनुकूलन की आवश्यकता पड़ सकती है। विदेशी मुद्रा में ऋण लेने और देने वाली इकाई के रूप में, पीआईएफआईएल वैश्विक ब्याज दरों की अस्थिरता और विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति सीधे तौर पर संवेदनशील है, जिसके लिए परिष्कृत हेजिंग और जोखिम प्रबंधन कार्यनीतियों की आवश्यकता होती है।

IV. सेगमेंट-वार या उत्पाद-वार कार्य-निष्पादन

कंपनी का मुख्य व्यवसाय विद्युत एवं इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और कंपनी के कोई पृथक रिपोर्ट योग्य खंड (सेगमेंट) नहीं हैं।

V. दृष्टिकोण

आपकी कंपनी का निगमन 11.02.2024 को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी के रूप में किया गया था। वित्तीय वर्ष 2025-26 कंपनी का पहला पूर्ण परिचालन वर्ष होगा। कंपनी की स्थापना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी (आईएफएससीए) विनियमों के अंतर्गत अनुमत मुख्य गतिविधियों को करने के उद्देश्य से की गई है, जिनमें अन्य के साथ-साथ ऋण, प्रतिबद्धताओं और गारंटी के रूप में ऋण देना, क्रेडिट संवर्धन, प्रतिभूतिकरण, वित्तीय पट्टे तथा पोर्टफोलियो की खरीद और बिक्री शामिल हैं।

गिफ्ट सिटी के निरंतर विस्तारशील इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण की बढ़ती मांग को देखते हुए, आपकी कंपनी ऋण परिचालनों के माध्यम से राजस्व सृजन की दिशा में सशक्त रूप से अग्रसर है।

VI. जोखिम एवं चिंताएं

वित्त कंपनी होने के कारण आपकी कंपनी विभिन्न जोखिमों जैसे लिक्विडिटी जोखिम, विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम, विधिक जोखिम आदि के अध्यधीन है। तथापि, कंपनी ने लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन हेतु सितंबर 2008 के "लिक्विडिटी जोखिम के सुदृढ़ प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण के सिद्धांत" शीर्षक वाले बेसल दस्तावेज के अनुरूप, जहां

तक कंपनी पर लागू हो तथा उसके व्यवसाय की प्रकृति, पैमाने और जटिलता के अनुरूप, एक नीति तैयार की है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने एक्सपोजर एवं संकेंद्रण जोखिम पर भी एक नीति बनाई है। यह नीति सामान्य संकेंद्रण जोखिम के साथ-साथ परिसंपत्ति एक्सपोजर में क्षेत्रीय संकेंद्रण, परिसंपत्ति एक्सपोजर में भौगोलिक संकेंद्रण तथा सीमित/संकेंद्र वित्तपोषण स्रोतों पर निर्भरता से उत्पन्न अन्य विशिष्ट संकेंद्रण जोखिमों को भी सम्मिलित रूप से कवर करती है।

VII. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उसकी पर्याप्तता

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां आईएफएससीए के विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त रूप से समन्वित की गई हैं।

VIII. प्रचालन संबंधी कार्य-निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय कार्य-निष्पादन पर चर्चा

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अपनी परिचालन गतिविधियां प्रारंभ नहीं की हैं।

IX. मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध और कर्मचारियों की संख्या में महत्वपूर्ण विकास

कंपनी के सभी कर्मचारी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) की नामावली पर हैं, जो आपकी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है। पीएफसी ने पहले ही प्रभावी प्रतिभा अधिग्रहण और प्रतिधारण प्रथाएं स्थापित की हैं। ये प्रथाएं संगठनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम निगमित प्रथाओं के साथ तुलनात्मक रूप से डिजाइन की गई हैं। इसके अलावा अन्य कार्यनीतिक पहलों के माध्यम से मानव संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाता है, जिससे उच्च स्तर की उत्पादकता प्राप्त होती है।

X. पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

कंपनी के पास कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है, अतः ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं है।

आपकी कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा यूएसडी है, और प्रेजेंटिंग मुद्रा आईएनआर है। हालांकि, विदेशी मुद्रा आय और व्यय की रिपोर्टिंग के प्रयोजन से, आईएनआर के अलावा अन्य मुद्रा में किसी भी आय या व्यय की रिपोर्ट यहां की जाती है। कंपनी प्रचालन और सावधि जमा आय पर ब्याज से अपना राजस्व केवल यूएसडी में अर्जित करती है।

वित्तीय वर्ष 25 के दौरान, विदेशी मुद्रा आय और व्यय निम्नानुसार हैं:

i) विदेशी मुद्रा जमा पर ब्याज के निमित्त विदेशी मुद्रा आय - _यूएसडी 6,84,201
ii) आईएफएससीए शुल्क और बैंक प्रभार के निमित्त विदेशी मुद्रा व्यय - यूएसडी 20,480

XI. **निगमित सामाजिक दायित्व**

एमसीए की 4 जनवरी, 2017 की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी पर अपने व्यवसाय प्रारंभ होने की तिथि से अगले 5 वर्षों के लिए सीएसआर के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड

(परमिंदर चोपड़ा)
अध्यक्ष
डीआईएन: 08530587

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04.12.2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,
सदस्यगण,
पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

मत

हमने पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिनमें 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि का विवरण (अन्य समग्र आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश सहित अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जिसे आगे "वित्तीय विवरण" कहा गया है) शामिल हैं।

हमारी राय में तथा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अनुसार आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2025 की स्थिति में कंपनी की वित्तीय स्थिति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसकी हानि (अन्य समग्र आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन तथा नकदी प्रवाह का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

मत का आधार

हमने वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां" अनुभाग में किया गया है। हम, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार, तथा कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं तथा आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का पालन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे मत के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त अन्य जानकारी तथा उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी का प्रबंधन एवं निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल सूचनाएं आती हैं, परंतु इसमें वित्तीय विवरण तथा उन पर हमारी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराई जाने की अपेक्षा है।

हमारी वित्तीय विवरणों पर दी गई राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब उपरोक्त अन्य जानकारी उपलब्ध हो, तो उसे पढ़ें और यह विचार करें कि क्या ऐसी जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान के साथ किसी महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या अन्यथा उसमें कोई महत्वपूर्ण त्रुटि प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण त्रुटि है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करनी होती है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं शासन से संबंधित व्यक्तियों की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित हैं, ताकि वे कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ एवं हानि (अन्य समग्र आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन तथा नकदी प्रवाह का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकें, जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा मानक शामिल हैं।

इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव भी शामिल है, ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पहचान की जा सके; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन एवं उनका अनुप्रयोग; विवेकपूर्ण एवं उचित निर्णय तथा अनुमान करना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव, जो प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हों, ताकि लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित की जा सके, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं, और जो किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण त्रुटि (चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण) से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों की तैयारी के दौरान, निदेशक मंडल कंपनी की सतत संचालन की क्षमता का आकलन करने, उससे संबंधित मामलों का खुलासा करने (जहां लागू हो), तथा लेखांकन के लिए सतत संचालन के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को परिसमापन करने या उसके संचालन को बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थ विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारे उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए यथोचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण संपूर्ण रूप से किसी भी महत्वपूर्ण त्रुटि (चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो) से मुक्त हैं, तथा एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो।

यथोचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की गई लेखापरीक्षा प्रत्येक स्थिति में महत्वपूर्ण त्रुटि का पता लगा लेगी। त्रुटियां धोखाधड़ी या गलती से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि वे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं।

लेखापरीक्षा के दौरान, एसए के अनुसार, हम पेशेवर निर्णय का उपयोग करते हैं और संपूर्ण लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त, हम निम्नलिखित कार्य करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण त्रुटि के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते हैं (चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों), उन जोखिमों के अनुसार लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार और निष्पादित करते हैं, तथा पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न त्रुटि का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि से उत्पन्न त्रुटि की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं, ताकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें।
- प्रबंधन द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता तथा किए गए लेखा अनुमानों और संबंधित खुलासों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा सतत संचालन के आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित करते हैं कि क्या ऐसी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की सतत संचालन क्षमता पर संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि ऐसी अनिश्चितता पाई जाती है, तो हमें अपनी रिपोर्ट में संबंधित खुलासों की ओर ध्यान आकर्षित करना होता है या, यदि वे अपर्याप्त हों, तो अपनी राय में संशोधन करना होता है। हालांकि, हमारे निष्कर्ष हमारी रिपोर्ट की तिथि तक उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित होते हैं, और भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां कंपनी को सतत संचालन जारी रखने से रोक सकती हैं।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री (खुलासों सहित) का मूल्यांकन करते हैं तथा यह भी देखते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति सुनिश्चित होती है।

हम शासन से संबंधित व्यक्तियों के साथ, अन्य बातों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय-निर्धारण तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिनमें हमारे द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रणों की महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल हैं।

हम शासन से संबंधित व्यक्तियों को यह भी एक वक्तव्य प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, तथा उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों का संप्रेषण करते हैं जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों की जानकारी भी देते हैं।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(11) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हम "अनुलग्नक क" में आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट विषयों पर, जहां तक लागू है, एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2. हम अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत, कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की उन जांचों के आधार पर जिन्हें हमने उपयुक्त समझा, तथा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर "अनुलग्नक ख" में अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं।

   (ख) हमारी राय में, कानून द्वारा आवश्यक उचित लेखा पुस्तकों का कंपनी द्वारा रखरखाव किया गया है, जैसा कि उन पुस्तकों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है।

   (ग) इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह विवरण और लाभ एवं हानि विवरण (अन्य समग्र आय सहित) लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

   (घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा मानकों तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के अनुरूप हैं।

   (ड.) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 164(2) (निदेशकों की अनअर्हता) कंपनी पर लागू नहीं होती, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

   (च) कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी संचालनात्मक प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया हमारे पृथक रिपोर्ट "अनुलग्नक ग" का संदर्भ लें।

(छ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(डी) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 (निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित) कंपनी पर लागू नहीं होती, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार:

(क) कंपनी के विरुद्ध कोई लंबित वाद नहीं है, जिसका उसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़े।

(ख) कंपनी के पास कोई दीर्घकालिक अनुबंध, जिसमें डेरिवेटिव अनुबंध भी शामिल हैं, नहीं थे जिनमें कोई महत्वपूर्ण संभावित हानि हो।

(ग) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित किए जाने हेतु कोई राशि आवश्यक नहीं थी।

(घ) (i) प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन दिया है कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, लेखा टिप्पणी में प्रकटीकरण के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या इकाई (जिसमें विदेशी इकाइयां भी शामिल हैं) ("मध्यस्थ") को किसी भी प्रकार की निधि (ऋण निधि, शेयर प्रीमियम या अन्य किसी स्रोत से) इस समझ के साथ अग्रिम, ऋण या निवेश के रूप में प्रदान नहीं की गई है कि वह मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी द्वारा पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या इकाइयों ("अंतिम लाभार्थी") को ऋण या निवेश करेगा या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी प्रकार का प्रावधान देगा;

(ii) प्रबंधन ने यह भी अभ्यावेदन दिया है कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, लेखा टिप्पणी में प्रकटीकरण के अतिरिक्त, कंपनी को किसी भी व्यक्ति या इकाई (जिसमें विदेशी इकाइयां भी शामिल हैं) ("वित्तपोषक पक्ष") से ऐसी कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे वित्तपोषक पक्ष द्वारा पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या इकाइयों ("अंतिम लाभार्थी") को ऋण या निवेश करेगी या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी प्रकार का प्रावधान देगी;

(iii) उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें हमने परिस्थितियों के अनुसार उचित और उपयुक्त माना, हमारे संज्ञान में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे यह विश्वास हो कि उपर्युक्त उप-खंड (i) और (ii) के अंतर्गत दिए गए अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण त्रुटि है।

(ड.) कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

(च) हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी लेखा पुस्तकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में अनुरक्षित किया है।

चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान इस पर लागू नहीं होता है, अतः कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के अंतर्गत, वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती, क्योंकि लेखा पुस्तकों का रखरखाव गैर-इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया गया है।

कृते मैसर्स मुकेशकुमार जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 0106619W

आयुष जैन
पार्टनर
सदस्यता सं. 446931
आईसीएआई यूडीआईएन:

स्थान: गांधीनगर
दिनांक: 28/08/2025

अनुलग्नक–क
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के "अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" अनुभाग के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित)

(i) क) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संबंध में पूर्ण विवरण, मात्रात्मक जानकारी तथा उनके स्थान सहित उचित अभिलेखों का रखरखाव किया है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों के संबंध में भी पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेखों का रखरखाव किया है।

ख) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के सत्यापन के लिए एक कार्यक्रम बनाया है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु का सत्यापन प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार किया जाता है, जो कंपनी के आकार एवं संपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए हमारी राय में उचित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष के दौरान कुछ संपत्तियों का सत्यापन निर्धारित था, जिन्हें प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया। हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, इस सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया।

ग) अचल संपत्तियों के संबंध में (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा करार विधिवत कंपनी के पक्ष में निष्पादित हैं), जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अंतर्गत दर्शाई गई हैं, हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा पंजीकृत विक्रय विलेख/हस्तांतरण विलेख/कन्वेयंस डीड के सत्यापन के आधार पर, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि ऐसी अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख बैलेंस शीट तिथि के अनुसार कंपनी के नाम पर हैं।

घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण या अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ड.) वर्ष के दौरान या 31 मार्च 2025 तक कंपनी के विरुद्ध बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति के संबंध में कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की गई है और न ही लंबित है।

(ii) कंपनी के पास कोई इन्वेंटरी नहीं है; अतः कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड 3(ii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(iii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी कंपनी, फर्म, सीमित देयता साझेदारी या अन्य किसी पक्ष को कोई निवेश नहीं किया है, न ही कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है और न ही किसी प्रकार के सुरक्षित या असुरक्षित ऋण या अग्रिम दिए हैं। अतः आदेश के खंड 3(iii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(iv) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 185 के अंतर्गत आने वाले पक्षों को कोई ऋण नहीं दिया है और न ही कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है। कंपनी ने, जहां लागू है, अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों का पालन किया है, जो ऋण, निवेश, गारंटी एवं सुरक्षा से संबंधित हैं।

(v) कंपनी ने न तो जनता से कोई जमा राशि स्वीकार किया है और न ही अधिनियम की धाराओं 73 से 76 तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार जमा माने जाने वाली कोई राशि स्वीकार की है। अतः आदेश के खंड 3(v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(vi) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के किसी भी कार्य के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लागत अभिलेख बनाए रखने की आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई है। अतः आदेश के खंड 3(vi) लागू नहीं होता है।

(vii) (क) कंपनी नियमित रूप से अपने अविवादित वैधानिक देयों जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर, उपकर तथा अन्य लागू वैधानिक देयों को संबंधित प्राधिकरणों के पास जमा कर रही है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक ऐसी कोई अविवादित देय राशि बकाया नहीं है जो देय होने की तिथि से छह माह से अधिक समय से लंबित हो।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, वस्तु एवं सेवा कर, उपकर तथा अन्य वैधानिक देयों के संबंध में कोई महत्वपूर्ण विवादित देय राशि लंबित नहीं है।

(viii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में, पुस्तकों में पूर्व में दर्ज न की गई किसी भी लेन-देन को आय के रूप में न तो समर्पित किया है और न ही उसका खुलासा किया है।

(ix) (क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी ऋण या ऋण राशि के पुनर्भुगतान अथवा उस पर ब्याज के भुगतान में किसी भी ऋणदाता के प्रति कोई चूक नहीं की है।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी बैंक, वित्तीय संस्था, सरकार या सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

(ग) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है।

(घ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी की बैलेंस शीट के समग्र परीक्षण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने किसी भी अल्पकालिक आधार पर कोई निधि नहीं जुटाई है।

(ड.) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा वित्तीय विवरणों के समग्र परीक्षण के आधार पर, कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है।

(च) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर भी यह पुष्टि होती है कि कंपनी की कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है।

(x) (क) कंपनी ने आईपीओ या आगे के सार्वजनिक निर्गम (जिसमें ऋण साधन शामिल हैं) के माध्यम से कोई धनराशि एकत्रित नहीं की है। अतः आदेश का खंड 3(x)(क) लागू नहीं होता है।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या निजी प्लेसमेंट (शेयर या पूर्ण/आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर) नहीं किया है। अतः आदेश का खंड 3(x)(ख) लागू नहीं होता है।

(xi) (क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का कोई मामला न तो पाया गया है और न ही रिपोर्ट किया गया है।

(ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143(12) के अंतर्गत, कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अनुसार, लेखापरीक्षकों द्वारा फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल-ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। अतः आदेश के खंड 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xiii) हमारी राय में तथा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा अपने संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन, जहां लागू हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुरूप हैं तथा संबंधित पक्ष लेन-देन का विवरण लागू लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

(xiv) हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है तथा परिणामस्वरूप कंपनी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है। अतः आदेश के खंड 3(xiv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xv) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 में उल्लिखित निदेशकों अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। अतः आदेश के खंड 3(xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-Iए के अंतर्गत पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। अतः आदेश के खंड 3(xvi)(ए) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

ख) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-Iए के अंतर्गत पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। अतः आदेश के खंड 3(xvi)(बी) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है। अतः आदेश के खंड 3(xvi)(सी) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

घ) लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास कोई भी सीआईसी नहीं है। अतः आदेश के खंड 3(xvi)(डी) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xvii) कंपनी को वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोई नकदी हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई इस्तीफा नहीं दिया गया है। अतः आदेश के खंड 3(xviii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xix) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 35 में प्रकट वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की आयु एवं अपेक्षित वसूली तिथियों तथा वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न अन्य जानकारी तथा निदेशक मंडल एवं प्रबंधन की योजनाओं के संबंध में हमारी जानकारी और अनुमानों के

समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, जिसके कारण कंपनी बैलेंस शीट की तिथि पर विद्यमान अपनी देनदारियों का भुगतान, उनके देय होने पर, बैलेंस शीट तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर करने में सक्षम नहीं होगी। तथापि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षण रिपोर्ट की तिथि तक उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है और हम कोई गारंटी अथवा आश्वासन नहीं देते कि बैलेंस शीट तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों का भुगतान कंपनी द्वारा समय पर किया जाएगा।

(xx) हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 135(1) तथा कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं करती है। अतः आदेश के खंड 3(xx)(ए) एवं 3(xx)(बी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

कृते मैसर्स मुकेश कुमार जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 0106619W

आयुष जैन
पार्टनर
सदस्य सं. 446931
आईसीएआई यूडीआईएन: 25446931BMMBEV5937
स्थान: गांधीनगर
दिनांक: 28/08/2025

अनुलग्नक - ख
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि हेतु सांविधिक लेखापरीक्षकों को जारी निर्देशों के उत्तर।

क्र.सं.	**विवरण**	**उत्तर**
1.	क्या कंपनी के पास सभी लेखा लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखा लेनदेन संसाधित किए जाने के कारण खातों की सत्यनिष्ठा पर प्रभाव तथा उसके वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए।	कंपनी अपने लेखा अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में संधारित कर रही है। हमारी राय में तथा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास पुस्तकों में दर्ज प्रविष्टियों की सटीकता सत्यापित करने हेतु पर्याप्त नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध है।
2.	क्या कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन अथवा ऋण/ब्याज आदि की माफी या बट्टेखाते में डाले जाने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो उसका वित्तीय प्रभाव बताया जाए तथा यह भी कि क्या ऐसे मामलों का उचित लेखांकन किया गया है।	ऋण/ब्याज आदि की माफी या बट्टेखाते में डाले जाने का कोई मामला नहीं है। अतः यह खंड लागू नहीं होता है।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार अथवा उसकी एजेंसियों से किसी विशेष योजना हेतु प्राप्त/प्राप्त होने वाली निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लेखांकन एवं उपयोग उनकी शर्तों एवं नियमों के अनुसार किया गया है? विचलन के मामलों की सूची दें।	केंद्र/राज्य एजेंसियों से किसी विशेष योजना हेतु कोई निधि प्राप्त/प्राप्त होने योग्य नहीं है। अतः यह खंड लागू नहीं होता है।

कृते मैसर्स मुकेश कुमार जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 0106619W

आयुष जैन
पार्टनर
सदस्य सं. 446931
आईसीएआई यूडीआईएन: 25446931BMMBEV5937
स्थान: गांधीनगर
दिनांक: 28/08/2025

अनुलग्नक - ग
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2025 की स्थिति में पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफ़एससी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जो समसंख्यक तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयुक्त रूप से किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन नोट" ("मार्गदर्शन नोट") में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है।

इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्पन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण सम्मिलित है, जो व्यवसाय के सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से कार्यरत हों, जिनमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखा अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सम्मिलित है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी के वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपने लेखापरीक्षा मार्गदर्शन नोट तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, जहां तक वे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं, संपन्न की है। इन मानकों एवं मार्गदर्शन नोट के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना तथा लेखापरीक्षा की योजना बनाकर उसे इस प्रकार संपन्न करना आवश्यक है कि यह युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय रिपोर्ट पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित एवं अनुरक्षित किए गए थे तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से कार्यरत थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उसकी परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाएं संपन्न करना सम्मिलित है। वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखा परीक्षण में इन नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, महत्वपूर्ण कमजोरी के अस्तित्व के जोखिम का आकलन करना तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों की अभिकल्पना एवं परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना सम्मिलित है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिनमें धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण त्रुटिपूर्ण विवरण के जोखिम का आकलन भी सम्मिलित है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य कंपनी के वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसे सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने तथा वित्तीय रिपोर्ट की विश्वसनीयता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाता है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में ऐसी नीतियां एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो (1) ऐसे अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हों, जो उचित विवरण सहित कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन एवं निपटान को सही एवं निष्पक्ष रूप से प्रदर्शित करें; (2) यह युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु आवश्यक रूप से अभिलिखित किए गए हैं तथा कंपनी की प्राप्तियां एवं भुगतान केवल प्रबंधन एवं निदेशकों की स्वीकृति के अनुसार ही किए जा रहे हैं; तथा (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम अथवा समय पर पहचान के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करें, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत अथवा प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को अनुचित रूप से निरस्त करने की संभावना सम्मिलित है, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण त्रुटिपूर्ण विवरण उत्पन्न हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल सकता। इसके अतिरिक्त, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के अधीन होता है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण ऐसे नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में गिरावट आ सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में वित्तीय रिपोर्ट पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित की हुई है तथा 31 मार्च, 2025 की स्थिति में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्यरत थे। यह राय कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों पर आधारित है, जिसमें मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखा गया है।

कृते मैसर्स मुकेश कुमार जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 0106619W

आयुष जैन
पार्टनर
सदस्य सं. 446931
आईसीएआई यूडीआईएन: 25446931BMMBEV5937
स्थान: गांधीनगर
दिनांक: 28/08/2025

पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड
(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2025 तक	
			यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
	परिसंपत्तियां			
1	**वित्तीय परिसंपत्तियां**			
(क)	नकदी एवं नकदी समतुल्य	4	9,367	8,01,661
(ख)	नकदी एवं नकदी समतुल्य में शामिल राशि के अतिरिक्त बैंक शेष	5	1,25,90,420	1,07,75,05,728
(ग)	व्यापार प्राप्य	6	-	-
(घ)	ऋण	7	-	-
(ड.)	निवेश	8	-	-
(च)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	729	62,400
	उप-योग (1)		1,26,00,516	1,07,83,69,788
2	**गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां**			
(क)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	1,54,462	62,21,271
(ख)	आआस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	11	62,418	53,41,846
(ग)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण		-	-
(घ)	पूंजीगत कार्य प्रगति पर		-	-
(ड.)	राइट ऑफ यूज़ परिसंपत्तियां		-	-
(च)	अमूर्त परिसंपत्तियां	12	334	28,561
(छ)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	13	-	-
	उप-योग (2)		2,17,214	1,15,91,678
3	बिक्री हेतु वर्गीकृत परिसंपत्तियां	14	-	-
	उप-योग (3)		-	-
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)		1,28,17,730	1,08,99,61,466
	देयताएं एवं इक्विटी			
	देयताएं			
1	**वित्तीय देयताएं**			
(क)	व्यापार देयताएं	15		
	(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बकाया देयताएं		-	-
	(ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के बकाया देयताएं		-	-
(ख)	अन्य वित्तीय देयताएं	16	5,58,082	4,77,61,448
	उप-योग (1)		5,58,082	4,77,61,448
2	**गैर-वित्तीय देयताएं**			
(क)	वर्तमान कर देयताएं (निवल)	10	-	-
(ख)	प्रावधान	17	1,347	1,15,264
(ग)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	18	-	-
(घ)	आआस्थगित कर देयताएं (निवल)	11	-	-
	उप-योग (2)		1,347	1,15,264
3	**इक्विटी**			
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	19	1,20,04,442	1,00,00,00,000
(ख)	अन्य इक्विटी	20	2,53,859	4,20,84,754
	उप-योग (3)		1,22,58,301	1,04,20,84,754
	कुल देयताएं एवं इक्विटी (1+2+3)		1,28,17,730	1,08,99,61,466

शिखा तलरेजा	**जसनीत गुरम**	**पी. एस. सुंदरम**	**संदीप कुमार**	**परमिंदर चोपड़ा**
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	निदेशक डीआईएन: 08529035	अध्यक्ष डीआईएन: 08530587

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार हस्ताक्षरित
कृते मुकेश कुमार जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 106619W

सीए आयुष जैन
पार्टनर
सदस्यता सं. 446931

दिनांक: 28/08/2025
स्थान: नई दिल्ली

पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड
(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)
11 फरवरी, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि हेतु लाभ एवं हानि विवरण

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2025 तक	
			यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
	परिचालन से राजस्व			
(i)	ब्याज आय	21	6,84,201	5,76,70,210
(ii)	सेवाओं की बिक्री	22	-	-
I	**परिचालन से कुल राजस्व**		6,84,201	5,76,70,210
II	अन्य आय	23	-	-
III	**कुल आय (I + II)**		6,84,201	5,76,70,210
	व्यय			
(i)	वित्तीय लागत	24	3,410	2,91,794
(ii)	निवल विदेशी मुद्रा अंतरण/लेनदेन विनिमय हानि/(लाभ)	25	(9,315)	(7,85,177)
(iii)	कर्मचारी लाभ व्यय	26	-	-
(iv)	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	27	13	1,122
(v)	अन्य व्यय	28	3,47,525	2,92,92,297
IV,	**कुल व्यय**		3,41,632	2,88,00,036
VI	असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि) (III - IV + V)		3,42,569	2,88,70,174
VII	असाधारण मदें		-	-
VII	कर पूर्व लाभ/(हानि) (V - VI)		3,42,569	2,88,70,174
	कर व्यय			
	(1) वर्तमान कर	29	1,51,128	1,29,33,782
	(2) पूर्व वर्षों के आयकर का समायोजन		-	-
	(3) आआस्थगित कर	29	(62,418)	(53,41,846)
VIII	**कुल कर व्यय**		88,710	75,91,936
IX	जारी परिचालन से अवधि का लाभ/(हानि) (VII - VIII)		2,53,859	2,12,78,238
X	बंद परिचालन से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)			
XI	अवधि का कुल लाभ/(हानि) (जारी और बंद परिचालनों के लिए) (IX + X)		2,53,859	2,12,78,238
XII	**अन्य व्यापक आय**			
	विदेशी मुद्रा लेन-देन के अंतरण से विनिमय अंतर		**-**	2,78,04,303
	विदेशी मुद्रा अनुवाद अंतरण पर कर प्रभाव		**-**	(69,97,787)
XIII	अवधि की कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/हानि एवं अन्य व्यापक आय सहित) (XI + XII)		2,53,859	4,20,84,754
XIV	**प्रति शेयर अर्जन** (प्रत्येक ₹10 अंकित मूल्य) (जारी परिचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)	30		
	(1) मूल ईपीएस (₹)		0.0025	0.21
	(2) ह्रासित ईपीएस (₹)		0.0025	0.21
XIV	**प्रति शेयर अर्जन** (प्रत्येक ₹10 अंकित मूल्य) (बंद परिचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)			
	(1) मूल ईपीएस (₹)		**-**	**-**
	(2) ह्रासित ईपीएस (₹)		**-**	**-**
XIV	**प्रति शेयर अर्जन** (प्रत्येक ₹10 अंकित मूल्य) (जारी एवं बंद परिचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं) (XIV+XV)			
	(1) मूल ईपीएस (₹)		0.0025	0.21
	(2) ह्रासित ईपीएस (₹)		0.0025	0.21

शिखा तलरेजा	**जसनीत गुरम**	**पी. एस. सुंदरम**	**संदीप कुमार**	**परमिंदर चोपड़ा**
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	निदेशक	अध्यक्ष
			डीआईएन: 08529035	डीआईएन: 08530587

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार हस्ताक्षरित
कृते मुकेश कुमार जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 106619W

सीए आयुष जैन
पार्टनर
सदस्यता सं. 446931

दिनांक: 28/08/2025
स्थान: नई दिल्ली

पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड
(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)
11 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31.03.2025 तक	
सब्सक्राइब्ड एवं आदत्त	यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	1,20,04,442.00	1,00,00,00,000.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि	1,20,04,442.00	1,00,00,00,000.00

ख. अन्य इक्विटी

यूएसडी में राशि

विवरण	ओडीआई	रिसर्व एवं अधिशेष	
	विदेशी परिचालन के अंतरण पर विनिमय अंतर	प्रतिधारित आय	कुल
11.02.2024 तक शेष राशि	-	-	-
लेखांकन नीति / पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन		-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	2,53,859	2,53,859
31.03.2025 तक शेष राशि	-	2,53,859	2,53,859

आईएनआर में राशि

विवरण	ओडीआई	रिसर्व एवं अधिशेष	
	विदेशी परिचालन के अंतरण पर विनिमय अंतर	प्रतिधारित आय	कुल
11.02.2024 तक शेष राशि	-	-	-
लेखांकन नीति / पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन		-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	2,08,06,516	2,12,78,238	4,20,84,754
31.03.2025 तक शेष राशि	2,08,06,516	2,12,78,238	4,20,84,754

शिखा तलरेजा	**जसनीत गुरम**	**पी. एस. सुंदरम**	**संदीप कुमार**	**परमिंदर चोपड़ा**
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	निदेशक डीआईएन: 08529035	अध्यक्ष डीआईएन: 08530587

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार हस्ताक्षरित
कृते मुकेश कुमार जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 106619W

सीए आयुष जैन
पार्टनर
सदस्यता सं. 446931

दिनांक: 28/08/2025
स्थान: नई दिल्ली

पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड
(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)
11 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि	
		यूएसडी में	आईएनआर में
I.	परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
	कर-पूर्व लाभ	3,42,569	2,88,70,174
	समायोजन:		
	अप्राप्त अंतरण लाभ/हानि	(9,315)	(7,85,177)
	मूल्यह्रास एवं अपरिशोधन	13	1,122
	सावधि जमा पर अर्जित परंतु अदेय ब्याज	(6,84,201)	(5,76,70,210)
	व्यय हेतु प्रावधान	1,347	1,15,264
	आयकर अधिनियम की धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज	3,410	2,91,794
	कार्यशील पूंजी से पूर्व परिचालन लाभ	(3,46,178)	(2,91,77,033)
	वृद्धि / कमी		
	अन्य वित्तीय एवं गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	(1,19,07,295)	(1,01,90,42,945)
	अन्य वित्तीय एवं गैर-वित्तीय देयताएं	3,17,305	2,70,55,970
	असाधारण मदों से पूर्व प्रयुक्त नकदी	(1,19,36,167)	(1,02,11,64,008)
	असाधारण मदें		
	कर पूर्व प्रचालन से प्रयुक्त नकदी	(1,19,36,167)	(1,02,11,64,008)
	आयकर भुगतान	(68,223)	(58,38,634)
	आयकर रीफंड		
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह/(बहिर्वाह)	(1,20,04,390)	(1,02,70,02,642)
II.	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों एवं अमूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री/ (खरीद)	-	-
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह/(बहिर्वाह)	-	-
III.	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
	इक्विटी शेयर जारी करना	1,20,04,442	1,00,00,00,000
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह/(बहिर्वाह)	1,20,04,442	1,00,00,00,000
	नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	52	(2,70,02,642)
	जोड़ें: वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	-	-
	जोड़ें: वर्ष के दौरान विनिमय अंतर का प्रभाव	9,315	2,78,04,303
	अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	9,367	8,01,661
	अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य का विवरण :		
	बैंक शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य की प्रकृति में)		
	- चालू खाता	9,367	8,01,661
	अवधि के अंत में कुल नकदी एवं नकदी समतुल्य	9,367	8,01,661

नकदी प्रवाह का उपर्युक्त विवरण इंड एएस 7 "नकदी प्रवाह का विवरण" में निर्धारित के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया गया है।

शिखा तलरेजा	**जसनीत गुरम**	**पी. एस. सुंदरम**	**संदीप कुमार**	**परमिंदर चोपड़ा**
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	निदेशक डीआईएन: 08529035	अध्यक्ष डीआईएन: 08530587

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार हस्ताक्षरित
कृते मुकेश कुमार जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 106619W

सीए आयुष जैन
पार्टनर
सदस्यता सं. 446931

दिनांक: 28/08/2025
स्थान: नई दिल्ली

पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड
(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. कॉर्पोरेट जानकारी
पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड ("पीआईएफआईएल" या "कंपनी") पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है, जिसका गठन 11 फरवरी, 2024 को किया गया था। कंपनी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी (आईएफएससीए) विनियम, 2021 के अनुसार एक वित्तीय कंपनी है तथा यह आईएफएससी गिफ्ट सिटी, गुजरात में अधिवासित है। कंपनी के पास एलओए संख्या आईएफएससीए-एसईज़ेड/5/2024-एसईज़ेड दिनांक 02.04.2024 है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी3 भूतल एस्पायर 3, ब्लॉक 12 आरडी 1डी, जोनल गिफ्टएसईज़ेड, जीआईए सिटी, गांधी नगर, गुजरात-382355, भारत।

कंपनी की स्थापना भारत तथा अन्य देशों में विद्युत एवं इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को विदेशी मुद्रा में ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है, जिसमें सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्र शामिल हैं।

2. अनुपालन विवरण एवं तैयार करने का आधार
कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुरूप हैं, जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। साथ ही, ये कंपनी अधिनियम, 2013 तथा अन्य लागू नियामकीय मानदंडों/दिशानिर्देशों का भी पालन करते हैं। ये वित्तीय विवरण सतत व्यवसाय के आधार पर तथा उपार्जन प्रणाली का पालन करते हुए तैयार किए गए हैं। परिसंपत्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है, सिवाय कुछ मदों के जिन्हें अपरिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापा गया है, जैसा कि संबंधित लेखा नीति में उल्लेखित है।

वित्तीय विवरण अमेरिकी डॉलर में प्रस्तुत किए गए हैं, जो आईएफएससी (वित्त कंपनी) विनियम, 2021 के अनुसार कंपनी की फंक्शनल मुद्रा है। समेकन तथा अन्य रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए इन वित्तीय विवरणों का भारतीय रुपए (₹) में परिवर्तन किया जाता है।

3(क) महत्वपूर्ण लेखा नीति संबंधी जानकारी
वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित महत्वपूर्ण लेखा नीतियां निम्नलिखित हैं:

(क) नकदी एवं नकदी समतुल्य
उपलब्ध नकदी में उपलब्ध नकदी तथा मांग जमा राशि शामिल हैं। कंपनी नकदी समतुल्य के रूप में उन सभी अल्पकालिक शेष राशियों को मानती है जिनकी मूल परिपक्वता अधिग्रहण की तिथि से तीन माह या उससे कम हो, जो अत्यधिक लिक्विड निवेश हों, जिन्हें ज्ञात नकदी राशि में आसानी से परिवर्तित किया जा सके तथा जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य हो।

(ख) वित्तीय लिखत
जब कंपनी किसी वित्तीय लिखत के संविदात्मक प्रावधानों) का पक्षकार बनती है, तब वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को मान्यता दी जाती है।

प्रारंभिक मान्यता के समय, वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जिसमें उन पर होने वाली लेनदेन लागत को जोड़ा या घटाया जाता है, जो उनके अधिग्रहण या निर्गम से संबंधित होती है। हालांकि, जो वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देयताएं लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर मान्यता प्राप्त होती हैं, उनकी लेनदेन लागत को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को उनकी श्रेणीकरण के आधार पर अपरिशोधित लागत अथवा उचित मूल्य पर मापा जाता है। सभी वित्तीय देयताओं को बाद में अपरिशोधित लागत पर मापा जाता है।

(ग) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई)

(i) पीपीई की मदों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है। इसके बाद उनका मापन लागत में से संचित मूल्यह्रास तथा संचित ह्रास हानि, यदि कोई हो, घटाकर किया जाता है। हालांकि, फ्रीहोल्ड भूमि पर मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता। जो पीपीई सक्रिय उपयोग से हटा दिए गए हों और बिक्री हेतु रखे गए हों, उन्हें उनकी बुक मूल्य अथवा निवल प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो कम हो, उस पर दर्शाया जाता है।

(ii) उपयोग में लाए गए परिसंपत्तियों के मामले में, पूंजीकरण स्वीकृत बिलों अथवा अनुबंधों के अनुसार किए गए कार्य के अनुमानित मूल्य के आधार पर किया जाता है, जहां अंतिम बिल अभी प्राप्त या स्वीकृत नहीं हुए हों। अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन किया जाता है।

(iii) पीपीई की किसी मद के भाग को बदलने की लागत को परिसंपत्ति की वहन राशि में तभी शामिल किया जाता है जब यह संभावित हो कि उस भाग से भविष्य में आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा उसकी लागत का विश्वसनीय मापन संभव हो। बदले गए भाग की वहन राशि को विमान्य किया जाता है। पीपीई के रखरखाव एवं सर्विसिंग लागत को व्यय होने पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

(iv) मूल्यह्रास परिसंपत्तियों की लागत में से अवशिष्ट मूल्य घटाकर लिखित अवमूल्यन विधि के अनुसार लगाया जाता है। यह कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित उपयोगी आयु के आधार पर किया जाता है। हालांकि, मोबाइल फोन के लिए कंपनी ने उपयोगी आयु 2 वर्ष निर्धारित की है। पीपीई का अवशिष्ट मूल्य उसकी मूल लागत का 5% अनुमानित किया गया है।

(v) वर्ष के दौरान पीपीई में जोड़ी गई अथवा हटाई गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, परिसंपत्ति के उपयोग हेतु उपलब्ध होने अथवा उसके निपटान की तिथि तक, अनुपातिक आधार पर लगाया जाता है।

(vi) पीपीई की किसी मद को तब हटाया जाता है जब उसका निपटान हो जाए अथवा उसके निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो। ऐसी परिसंपत्ति को हटाने पर उत्पन्न लाभ या हानि, निवल विक्रय प्राप्ति और परिसंपत्ति की वहन राशि के अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है तथा इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

(vii) जिन पीपीई मदों की लागत यूएसडी 60 तक है, उन्हें खरीद के उसी वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित कर दिया जाता है।

(घ) अमूर्त परिसंपत्तियां एवं अपरिशोधन

(i) सीमित उपयोगी आयु वाली अलग से अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत पर मान्यता दी जाती है। लागत में वे सभी प्रत्यक्ष संबंधित आकस्मिक व्यय शामिल होते हैं, जो परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए आवश्यक हों। इसके बाद इनका मापन लागत में से संचित अपरिशोधन तथा संचित ह्रास हानि, यदि कोई हो, घटाकर किया जाता है। अपरिशोधन को सीधी रेखा विधि के अनुसार उनकी अनुमानित उपयोगी आयु में मान्यता दी जाती है।

(ii) जो व्यय अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीकरण हेतु पात्र होते हैं, उन्हें उनके इच्छित उपयोग हेतु तैयार होने तक "विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां" के रूप में दर्शाया जाता है।

(iii) सीमित उपयोगी आयु वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु कंपनी द्वारा 5 वर्ष निर्धारित की गई है।

(iv) किसी अमूर्त परिसंपत्ति को उसके निपटान के समय अथवा जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब हटाया जाता है। ऐसी परिसंपत्ति को हटाने पर होने वाला लाभ या हानि, निवल विक्रय प्राप्ति एवं परिसंपत्ति की वहन राशि के अंतर के रूप में मापा जाता है तथा परिसंपत्ति को हटाए जाने पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

(ड.) पट्टे
पट्टा अनुबंधों की मान्यता, मापन एवं प्रस्तुतीकरण के लिए कंपनी भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 116 "पट्टे" (Leases) के सिद्धांतों का पालन करती है।

(i) कंपनी एक पट्टेदार के रूप में
कंपनी किसी अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करती है कि वह अनुबंध पट्टा है या उसमें पट्टे का तत्व शामिल है। कोई अनुबंध पट्टा तब माना जाता है जब वह किसी चिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार, एक निश्चित अवधि के लिए, प्रतिफल के बदले प्रदान करता हो। यह निर्धारित करने के लिए कि अनुबंध किसी परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है या नहीं, कंपनी यह आकलन करती है कि:
(क) क्या कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से प्राप्त होने वाले लगभग सभी आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं; तथा
(ख) क्या कंपनी के पास उस पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

पट्टा अनुबंध की शुरुआत में कंपनी उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति (आरओयू) को लागत पर तथा उसके अनुरूप पट्टा देयता को मान्यता देती है। हालांकि, जिन पट्टों की अवधि 12 माह से कम हो (अल्पकालिक पट्टे) तथा कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे हों, उन्हें पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा विधि पर परिचालन व्यय) के रूप में मान्यता दी जाती है।

उपयोग-अधिकार परिसंपत्तियों (आरओयू) को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि, पट्टा प्रारंभ तिथि से पहले या उसी तिथि पर किए गए पट्टा भुगतान, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत तथा प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन घटाकर शामिल हैं। इसके बाद इनका मापन लागत में से संचित मूल्यह्रास एवं संचित ह्रास हानि घटाकर किया जाता है। आरओयू परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास सीधी रेखा विधि से पट्टा प्रारंभ तिथि से, पट्टा अवधि अथवा परिसंपत्ति की उपयोगी आयु, जो भी कम हो, के आधार पर लगाया जाता है।

पट्टा देयता को प्रारंभ में भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत के आधार पर मापा जाता है। पट्टा भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दर से छूटप्राप्त किया जाता है। यदि यह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सके, तो कंपनी उस देश में लागू अपनी अतिरिक्त ऋण दर का उपयोग करती है जहां पट्टा स्थित है।

यदि कंपनी अपने आकलन में परिवर्तन करती है कि वह पट्टे के विस्तार या समाप्ति के विकल्प का उपयोग करेगी या नहीं, तो पट्टा देयता का पुनर्मापन किया जाता है तथा उसके अनुरूप उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति (आरओयू) में समायोजन किया जाता है।

(च) प्रावधान, संभावित देयताएं एवं संभावित परिसंपत्तियां
जब कंपनी पर किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या निर्माणात्मक) उत्पन्न होता है, तथा यह संभावित हो कि उस दायित्व के निपटान हेतु आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है, तब प्रावधान को मान्यता दी जाती है। प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उस वर्तमान दायित्व के निपटान हेतु आवश्यक सर्वोत्तम अनुमानित राशि होती है, जिसमें दायित्व से संबंधित जोखिमों एवं अनिश्चितताओं को ध्यान में रखा जाता है। जब किसी प्रावधान के निपटान हेतु आवश्यक आर्थिक लाभ का कुछ या पूरा भाग किसी तीसरे पक्ष से प्राप्त होने की संभावना हो, तब प्राप्ति योग्य राशि को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि यह लगभग निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी तथा उसकी राशि का विश्वसनीय मापन किया जा सकता है।

i. जहां आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की संभावना नहीं होती अथवा राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता, वहां उस दायित्व को खातों की टिप्पणियों में संभावित देयता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, सिवाय उन स्थितियों के जहां आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की संभावना अत्यंत कम हो।

ii. संभावित परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती, लेकिन जहां आर्थिक लाभ के अंतर्वाह की संभावना हो, वहां उनका खुलासा किया जाता है।

iii. इन सभी का प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर पुनरावलोकन किया जाता है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमान के अनुसार आवश्यक समायोजन किए जाते हैं।

(छ) आय/व्यय की मान्यता

(i) उन वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय, जिन्हें बाद में अपरिशोधित लागत पर मापा जाता है, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि के अनुसार मान्यता दी जाती है। प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) वह दर होती है, जो वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवनकाल के दौरान अनुमानित भविष्य की नकदी प्राप्तियों को प्रारंभिक मान्यता के समय उसकी निवल वहन राशि तक छूटप्राप्त करती है।

(ii) उन वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज, जिन्हें बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफ़वीटीपीएल) पर मापा जाता है, उपार्जन आधार पर संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार मान्यता दी जाती है तथा "ब्याज आय" शीर्षक के अंतर्गत पृथक रूप से प्रदर्शित किया जाता है।

(iv) प्रदान की गई सेवाओं से आय को, रिपोर्टिंग तिथि पर अनुबंध की पूर्णता की अवस्था के संदर्भ में, संबंधित समझौतों/व्यवस्थाओं की शर्तों के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(vi) उन वित्तीय देनदारियों पर ब्याज व्यय, जिन्हें बाद में अपरिशोधित लागत पर मापा जाता है, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि के अनुसार मान्यता दी जाती है।

(vii) अन्य आय एवं व्यय को संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपार्जन आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(viii) यूएसडी 1,250 तक के अग्रिम भुगतान किए गए व्यय को प्रारंभिक मान्यता के समय ही लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ज) विदेशी मुद्रा अंतरण

वित्तीय विवरण यूएसडी में प्रस्तुत किए जाते हैं तथा समेकन एवं अन्य रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए भारतीय रुपए (आईएनआर) में निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार परिवर्तित किए जाते हैं:

क. प्रस्तुतीकरण मुद्रा के रूप में यूएसडी हेतु
i) विदेशी मुद्रा में किए गए लेनदेन (अर्थात कार्यात्मक मुद्रा के अतिरिक्त अन्य मुद्रा में) सामान्यतः लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं।

ii) अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक मदों को समापन विनिमय दर पर पुनः प्रस्तुत किया जाता है। मौद्रिक मदों के निपटान अथवा प्रारंभिक मान्यता या पूर्व वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त दरों से भिन्न दरों पर अनुवाद के कारण उत्पन्न विनिमय अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

iii) विदेशी मुद्रा में अंकित गैर-मौद्रिक मदों को लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर वहन किया जाता है, सिवाय उन मदों के जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है।

ख. वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (आईएनआर) में परिवर्तित करने हेतु
वित्तीय विवरणों को यूएसडी से आईएनआर में निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार परिवर्तित किया जाता है:
(क) प्रत्येक प्रस्तुत बैलेंस शीट की परिसंपत्तियों एवं देयताओं (इक्विटी शेयर पूंजी एवं रिजर्व को छोड़कर) का परिवर्तन उस बैलेंस शीट की तिथि पर प्रचलित समापन विनिमय दर पर किया जाएगा।
(ख) प्रत्येक लाभ एवं हानि विवरण में प्रदर्शित आय एवं व्यय का परिवर्तन लेन-देन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाएगा।
(ग) उत्पन्न सभी विनिमय अंतरों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में "विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिज़र्व" के रूप में मान्यता दी जाएगी।

(झ) कराधान
आयकर व्यय में वर्तमान कर तथा आआस्थगित कर शामिल होते हैं। इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उन मदों के जो अन्य व्यापक आय अथवा सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त होती हैं। ऐसे मामलों में संबंधित कर को भी ओसीआई अथवा सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

(i) वर्तमान कर वह अनुमानित कर राशि है जो वर्ष की कर योग्य आय पर देय होती है। इसका निर्धारण रिपोर्टिंग तिथि तक लागू अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों के आधार पर किया जाता है। इसमें पूर्व वर्षों से संबंधित देय कर में आवश्यक समायोजन भी शामिल होते हैं।

(ii) आआस्थगित कर को वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की वहन राशि तथा कर योग्य आय की गणना हेतु प्रयुक्त उनके कर आधार के बीच उत्पन्न अस्थायी अंतरों पर मान्यता दी जाती है। आआस्थगित कर का मापन उन कर दरों के आधार पर किया जाता है जो रिपोर्टिंग तिथि तक लागू या पर्याप्त रूप से अधिनियमित कानूनों के अनुसार निर्धारित हों। यदि वर्तमान कर परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू अधिकार उपलब्ध हो तथा वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हों, तो आआस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को परस्पर समायोजित किया जाता है।

सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए आआस्थगित कर देनदारी को मान्यता दी जाती है। सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए आआस्थगित कर परिसंपत्ति को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ यह संभावित हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे, जिनके विरुद्ध इन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सके। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आआस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है तथा उन्हें उस सीमा तक घटा दिया जाता है जहाँ यह संभावित न रहे कि संबंधित कर लाभ प्राप्त हो सकेगा।

(ट) प्रति शेयर आय
मूल प्रति इक्विटी शेयर आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को संबंधित निवललाभ या हानि को वित्तीय वर्ष के दौरान प्रचलित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

3(ख) अनुमानों का उपयोग
वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को ऐसे अनुमान एवं मान्यताएं बनानी पड़ती हैं, जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों तथा संभावित देनदारियों से संबंधित खुलासों को प्रभावित करती हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों एवं संबंधित मान्यताओं की निरंतर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें संशोधन किया गया हो तथा उन भविष्य की अवधियों में भी जिन पर उसका प्रभाव पड़ता हो।

(i) आयकर
आयकर प्रावधान निर्धारित करने में अनुमान शामिल होते हैं, जिनमें अनिश्चित कर स्थितियों के संबंध में अपेक्षित भुगतान/वसूली की राशि तथा आआस्थगित कर परिसंपत्ति के आकलन हेतु भविष्य की अपेक्षित लाभप्रदता शामिल है।

(ii) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) तथा अमूर्त परिसंपत्तियों की उपयोगी आयु
कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यह्रास योग्य/अमोर्टाइजेशन योग्य परिसंपत्तियों की उपयोगी आयु के अपने अनुमान की समीक्षा करती है। यह समीक्षा परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर की जाती है। इन अनुमानों में अनिश्चितताएं तकनीकी एवं आर्थिक अप्रचलन से संबंधित होती हैं, जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को प्रभावित कर सकती हैं।

(iii) कम मूल्य वाले पट्टे
यह आकलन आवश्यक होता है कि क्या पट्टेदार, इंड एएस 116 "पट्टे" के मान्यता एवं मापन संबंधी प्रावधानों को उन पट्टों पर लागू न करने का विकल्प चुनता है जिनकी अंतर्निहित परिसंपत्ति का मूल्य कम हो। कम मूल्य निर्धारित करने के लिए कंपनी ने परिसंपत्तियों की प्रकृति तथा इंड एएस 1 "वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति" एवं इंड एएस की वैचारिक रूपरेखा में परिभाषित भौतिकता की अवधारणा को ध्यान में रखा है, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है।

(iv) प्रस्तुतीकरण मुद्रा के रूप में आईएनआर में आय एवं व्यय का परिवर्तन
प्रत्येक लाभ एवं हानि विवरण में प्रदर्शित आय एवं व्यय का आईएनआर में परिवर्तन अवधि की औसत विनिमय दर पर किया गया है, सिवाय कर संबंधी मदों के किया गया है।

पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी : 4 नकदी एवं नकदी समतुल्य

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 तक	
		यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
1	**बैंकों में शेष राशि (नकदी एवं नकदी समतुल्य के रूप में)**		
	- चालू खातों में	9,367	8,01,661
	- सावधि जमा खातों में (मूल परिपक्वता 3 माह तक)	-	-
	- म्यूचुअल फंड में निवेश (मूल परिपक्वता 3 माह तक)	-	-
	कुल	**9,367**	**8,01,661**

टिप्पणी : 5 नकदी एवं नकदी समतुल्य में शामिल नहीं की गई बैंक शेष राशि

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 तक	
		यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
1	- बैंकों में सावधि जमा	1,25,90,420	1,07,75,05,728
	कुल	**1,25,90,420**	**1,07,75,05,728**

टिप्पणी : 6 व्यापार प्राप्तियां

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 तक	
		यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
1	**व्यापार प्राप्तियां**		
	-अच्छी मानी गई – प्रतिभूत (सकल)	-	-
	- अच्छी मानी गई – अप्रतिभूत (सकल)	-	-
	- जिनमें ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है (सकल)	-	-
	- ऋण-अक्षम (सकल)	-	-
	घटाएं: ऋण-अक्षम पर ह्रास हानि प्रावधान	-	-
	कुल	-	-

टिप्पणी : 7 ऋण

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि	
		यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
(क)	ऋण	-	-
	कुल (क) सकल		
	घटाएं : ह्रास हानि प्रावधान		
	कुल (क) निवल	-	-
(ख)	प्रतिभूति-वार वर्गीकरण		
(i)	मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत		
(ii)	अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	-	-
(iii)	बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा कवर	-	-
(iv)	अप्रतिभूत	-	-
	कुल (ख) सकल	-	-
	घटाएं : ह्रास हानि प्रावधान	-	-
	कुल (ख) निवल	-	-
(ग) I	भारत में ऋण		
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र	-	-
(ii)	निजी क्षेत्र	-	-
	कुल (ग) I सकल		
	घटाएं : ह्रास हानि प्रावधान	-	-
	कुल (ग) I निवल	-	-
(ग) II	भारत के बाहर ऋण	-	-
	घटाएं : ह्रास हानि प्रावधान	-	-
	कुल (ग) II निवल	-	-
	कुल (ग) I + (ग) II निवल	-	-

टिप्पणी : 8 निवेश

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि	
		यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
1	ऋण प्रतिभूतियां	-	-
2	इक्विटी लिखत	-	-
3	वरीयता शेयर	-	-
4	अन्य	-	-
	कुल	-	-

टिप्पणी : 9 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि	
		यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
1	पीएफसी से सदस्यता प्राप्त इक्विटी शेयर पूंजी के संबंध में वसूल की जाने वाली राशि	-	-
2	कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम	-	-
3	अन्य प्रतिभूति जमा	729	62,400
	कुल	729	62,400

टिप्पणी : 10 वर्तमान कर परिसंपत्तियां / देयताएं

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि	
		यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
	आयकर :		
1	अग्रिम आयकर एवं स्रोत पर कर कटौती	3,09,000	2,64,44,634
2	घटाएं : आयकर प्रावधान	(1,54,538)	(2,02,23,363)
	कुल	1,54,462	62,21,271

टिप्पणी : 11 आआस्थगित कर परिसंपत्तियां / देयताएं

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि	
		यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
1	आआस्थगित कर परिसंपत्तियां	62,418	53,41,846
2	आआस्थगित कर देयताएं	-	-
	निवल आआस्थगित कर परिसंपत्तियां (+) / देयताएं (-)	62,418	53,41,846

टिप्पणी : 12 अमूर्त परिसंपत्तियां

सकल ब्लॉक

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि	
		यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
1	प्रारंभिक सकल ब्लॉक	-	-
2	अवधि के दौरान जोड़	347	29,700
3	घटाएं: अवधि के दौरान हटाई गई परिसंपत्तियां	-	-
	समापन सकल ब्लॉक	347	29,700

संचित परिशोधन

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि	
		यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
1	प्रारंभिक शेष	-	-
2	अवधि के दौरान परिशोधन व्यय	13	1,139
3	घटाएं : अवधि के दौरान समायोजित परिसंपत्तियों पर समायोजन	-	-
	समापन संचित ह्रास	13	1,139

टिप्पणी : 13 अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि	
		यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
1	पूर्व भुगतान व्यय	-	-
2	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निमित्त अग्रिम	-	-
3	अन्य	-	-
	कुल	-	-

नोट: 14 बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि	
		यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
1	निवेश	-	-
2	सहयोगी संस्थाओं को दिए गए ऋण सहित अर्जित ब्याज	-	-
3	सहयोगी संस्थाओं से प्राप्त होने वाली राशि	-	-
	कुल	-	-

नोट: 15 व्यापार देयताएं

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि	
		यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
1	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बकाया देय	-	-
2	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के बकाया देय	-	-
	कुल	-	-

नोट: 16 अन्य वित्तीय देयताएं

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि	
		यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
1	प्रतिभूति जमा	-	-
2	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देय राशि	5,58,082	4,77,61,448
3	अन्य वित्तीय देयताएं	-	-
	कुल	5,58,082	4,77,61,448

नोट: 17 प्रावधान

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि	
		यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
1	कर्मचारी हितलाभ हेतु	-	-
2	व्ययों हेतु	1,347	1,15,264
	कुल	1,347	1,15,264

नोट: 18 अन्य गैर-वित्तीय देयताएं

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि	
		यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
1	सांविधिक देयताएं	-	-
2	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	-	-
	कुल	-	-

नोट: 19 इक्विटी शेयर पूंजी

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि	
		यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
1	अधिकृत शेयर पूंजी (₹10/- प्रति शेयर के 5,00,00,00,000 इक्विटी शेयर अर्थात ₹5,000 करोड़)		
2	सदस्यता प्राप्त एवं पूर्णतः चुकता (₹10/- प्रति शेयर के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर)	12,004,442	1,000,000,000
	कुल	12,004,442	1,000,000,000

19.1 कंपनी में 5% से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि	
		यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
(i)	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,000,000,000	100%

नोट: 20 अन्य इक्विटी

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि	
		यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
1	पूंजी रिसर्व	-	-
2	प्रतिधारित आय	253,859	21,278,238
3	अन्य व्यापक आय – विदेशी मुद्रा अंतरण रिसर्व	-	20,806,516
	कुल	253,859	42,084,754

नोट: 21 ब्याज आय

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि	
		यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
1	सहयोगी संस्थाओं को दिए गए ऋण पर ब्याज	-	-
2	होल्डिंग कंपनी की सहयोगी कंपनियों को दिए गए ऋण पर ब्याज	-	-
3	बैंकों में जमा पर ब्याज	6,84,201	5,76,70,210
	कुल	6,84,201	5,76,70,210

नोट: 22 सेवाओं की बिक्री

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि	
		यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
1	सेवाओं की बिक्री	-	-
2	अन्य परिचालन आय	-	-
	कुल	-	-

नोट: 23 अन्य आय

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि	
		यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
1	बैंकों में जमा पर ब्याज	-	-
2	राइट बैक प्रावधान	-	-
	कुल	-	-

नोट: 24 वित्तीय लागत

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि	
		यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
1	टीडीएस एवं आयकर पर चुकाया गया ब्याज	3,410	2,91,794
2	ब्याज व्यय : पट्टा (कार्यालय परिसर)	-	-
	कुल	3,410	2,91,794

नोट: 25 निवल अंतरण/लेनदेन विनिमय हानि / (लाभ)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि	
		यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
1	रिपोर्टिंग तिथि पर मौद्रिक मदों का अंतरण – सावधि जमा	(9,315)	(7,85,177)
		-	-
	कुल	(9,315)	(7,85,177)

नोट: 26 कर्मचारी हितलाभ व्यय

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि	
		यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
1	वेतन एवं वेज	-	-
2	भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	-	-
3	कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
	कुल	-	-

नोट: 27 मूल्यह्रास एवं परिशोधन

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि	
		यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
1	मूल्यह्रास	-	-
2	परिशोधन	13	1,122
	कुल	13	1,122

नोट: 28 अन्य व्यय

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि	
		यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
1	विनियामक शुल्क	8,282	6,98,063
2	लेखापरीक्षा शुल्क	1,168	98,489
3	विधिक एवं व्यावसायिक व्यय	1,064	89,719
4	प्रारंभिक व्यय	3,36,018	2,83,22,420
5	कार्यालय किराया	891	75,133
6	विविध व्यय	101	8,474
	कुल	3,47,525	2,92,92,297

29 'आयकर' से संबंधित प्रकटीकरण:

29.1 स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय

विवरण	यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
वर्तमान कर व्यय / (आय)		
चालू वर्ष	1,51,128	1,29,33,782
पूर्व वर्ष	-	-
(क) कुल वर्तमान कर व्यय	1,51,128	1,29,33,782
आआस्थगित कर व्यय / (आय)		
अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति एवं प्रत्यावर्तन	(62,418)	(53,41,846)
(ख) कुल आआस्थगित कर व्यय / (आय)	(62,418)	(53,41,846)
कुल आयकर व्यय (क+ख)	88,710	75,91,936

29.2 अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय

विवरण	यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
वर्तमान कर व्यय / (आय)		
(i) वे मदें जिन्हें लाभ एवं हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	-	-
विदेशी लेनदेन के अंतरण में विनिमय अंतर		(69,97,787)
(क) कुल वर्तमान कर व्यय / (आय)	-	(69,97,787)
ओसीआई में मान्यता प्राप्त कुल कर व्यय / (आय) (क+ख)	-	(69,97,787)

29.3 कर व्यय एवं लेखांकन लाभ का मिलान

विवरण	यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
कर-पूर्व लाभ	3,42,569	2,88,70,174
कॉर्पोरेट कर दर	25.168%	25.168%
कॉर्पोरेट कर दर के अनुसार कर व्यय	86,218	72,66,045
निम्न के कारण वृद्धि / (कमी):		
गैर-कटौतियोग्य कर व्यय	3,866.38	3,25,890.67
कर दर में परिवर्तन	-	-
पूर्व वर्षों से संबंधित कर व्यय	-	-
अन्य	(1,374.00)	-
स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि विवरण में कुल कर व्यय	88,710	75,91,936

29.4 आआस्थगित कर शेष में परिवर्तन
वित्तीय वर्ष 2024-25

विवरण	11.02.2024 तक प्रारंभिक शेष	लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	31.03.2025 तक अंतिम शेष
(क) आआस्थगित कर परिसंपत्ति				
(i) आयकर अधिनियम के अंतर्गत भुगतान आधार पर कटौती योग्य व्ययों हेतु प्रावधान	-	-	-	-
(ii) ऋणों पर अपरिशोधित न की गई आय	-	-	-	-
(iii) वित्तीय लिखतों पर आरबीडीडी से अधिक हानि भत्ता	-	-	-	-
(iv) मूल्यह्रास एवं परिशोधन	-	-	-	-
(v) डेरिवेटिव्स का उचित मूल्य (निवल)	-	-	-	-
(vi) अन्य		53,41,845.86		53,41,845.86
कुल (क)		53,41,845.86		53,41,845.86
(ख) आआस्थगित कर देयताएं				
(i) ऋण देयताओं पर अपरिशोधित विनिमय हानि (निवल)				
(ii) ऋण पर अपरिशोधित व्यय				
(iii) अन्य				
कुल (ख)	-	-	-	-
निवल आआस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	-	53,41,845.86	-	53,41,845.86

30 इंड एएस 33 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रकटीकरण

क्र.सं.	विवरण	यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
(क)	अवधि के लाभ का उपयोग अंश (मूल एवं तनुकृत) हेतु:		
(i)	जारी परिचालन से	2,53,859	2,12,78,238
(ii)	बंद परिचालन से	-	-
(iii)	जारी एवं बंद दोनों परिचालनों से	2,53,859	2,12,78,238
(ख)	हर (मूल एवं तनुकृत) हेतु प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	10,00,00,000	10,00,00,000
(ग)	प्रति इक्विटी शेयर आय (मूल एवं तनुकृत), अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर:		
(i)	जारी परिचालन से	0.0025	0.21
(ii)	बंद परिचालन से	-	-
(iii)	जारी एवं बंद दोनों परिचालनों से	0.0025	0.21

31 पूंजी प्रबंधन

कंपनी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है। मूल कंपनी आवश्यकता पड़ने पर पूंजी निवेश करेगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) विनियम, 2021 की अनुसूची के क्रम संख्या 2 के अनुसार, एक या अधिक मुख्य गतिविधियां संचालित करने वाली इकाई को प्रत्येक अवसर पर न्यूनतम यूएसडी 3 मिलियन की स्वामित्व निधि अनुरक्षित रखना अनिवार्य है। कंपनी ने सभी अवसरों पर यूएसडी 3 मिलियन से अधिक स्वामित्व निधि अनुरक्षित रखी है।

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय साधन का प्रतिपक्ष अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में विफल रहता है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानि हो सकती है। वे वित्तीय परिसंपत्तियां जो कंपनी को ऋण जोखिम को प्रकट करती हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
निम्न ऋण जोखिम		
नकदी एवं नकदी समतुल्य	9,367	8,01,661
नकदी एवं नकदी समतुल्य में शामिल नहीं किए गए बैंक शेष	1,25,90,420	1,07,75,05,728
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	729	62,400
मध्यम ऋण जोखिम		
ऋण (मूलधन बकाया)	-	-
उच्च ऋण जोखिम		
ऋण (मूलधन बकाया)	-	-
निवेश (इक्विटी निवेशों को छोड़कर)	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-

32 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

32.1 संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेनदेन निम्नानुसार हैं:

विवरण	यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
होल्डिंग कंपनी:		
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
कंपनी की ओर से किए गए व्यय	5,58,082	4,77,61,448
इक्विटी शेयर पूंजी में निवेश	1,20,04,442.00	1,00,00,00,000.00

32.2 संबंधित पक्षों के साथ बकाया शेष निम्नानुसार हैं:

विवरण	यूएसडी में राशि	आईएनआर में राशि
ऋण, अग्रिम एवं अन्य मदों के संबंध में वसूल योग्य राशि:		
होल्डिंग कंपनी:		
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	-
ऋण, अग्रिम एवं अन्य मदों के संबंध में देय राशि:		
होल्डिंग कंपनी:		
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5,58,082	4,77,61,448

33 प्रत्येक परिसंपत्ति एवं देयता मद के लिए 12 माह के भीतर तथा 12 माह के बाद वसूल / निपटान की अपेक्षित राशि

क्र.सं.	विवरण	यूएसडी में राशि			आईएनआर में राशि		
		12 माह के भीतर	12 माह से अधिक	कुल	12 माह के भीतर	12 माह से अधिक	कुल
	परिसंपत्तियां						
1	वित्तीय परिसंपत्तियां						
(क)	नकदी एवं नकदी समतुल्य	9,367	-	9,367	8,01,661	-	8,01,661
(ख)	नकदी एवं नकदी समतुल्य में शामिल नहीं किए गए बैंक शेष	1,25,90,420	-	1,25,90,420	1,07,75,05,728	-	1,07,75,05,728
(ग)	व्यापार प्राप्तियां	-	-	-	-	-	-
(घ)	ऋण	-	-	-	-	-	-
(ड.)	निवेश	-	-	-	-	-	-
(च)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	1,25,99,787	729	1,26,00,516	1,07,83,07,388	62,400	1,07,83,69,788

2	गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां						
(क)	चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	1,54,462	1,54,462	-	62,21,271	62,21,271
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	62,418	62,418	-	53,41,846	53,41,846
(ग)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-
(घ)	जीगत कार्य प्रगति पर	-	-	-	-	-	-
(ड.)	उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति	-	-	-	-	-	-
(च)	अमूर्त परिसंपत्तियां	-	334	334	-	28,561	28,561
(छ)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां		-	-	-	-	-
	कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	-	2,17,214	2,17,214	-	1,15,91,678	1,15,91,678
	कुल परिसंपत्तियां	1,25,99,787	2,17,943	1,28,17,730	1,07,83,07,388	1,16,54,078	1,08,99,61,466
	देयताएं						
1	वित्तीय देयताएं						
(क)	व्यापार देयताएं	-	-	-	-	-	-
(i)	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बकाया देय	-	-	-	-	-	-
(ii)	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के बकाया देय	-	-	-	-	-	-
(ख)	अन्य वित्तीय देयताएं	5,58,082	-	5,58,082	4,77,61,448	-	4,77,61,448
	कुल वित्तीय देयताएं (1)	5,58,082	-	5,58,082	4,77,61,448	-	4,77,61,448
2	गैर-वित्तीय देयताएं						
(क)	चालू कर देयताएं (निवल)	-	-	-	-	-	-
(ख)	प्रावधान	1,347	-	1,347	1,15,264	-	1,15,264
(ग)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	-	-	-	-	-	-
(घ)	आस्थगित कर देयताएं (निवल)	-	-	-	-	-	-
	कुल गैर-वित्तीय देयताएं (2)	1,347	-	1,347	1,15,264	-	1,15,264
	कुल देयताएं (1+2)	5,59,429	-	5,59,429	4,78,76,712	-	4,78,76,712

34 स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि विवरण में डेबिट किए गए प्रावधान, आकस्मिकताएं एवं हानि भत्ते

क्र.सं.	विवरण	वित्त 2024-25	वित्त 2023-24
1	व्ययों हेतु किया गया प्रावधान	1,347	1,15,264
2	आयकर हेतु किया गया प्रावधान	1,54,538	2,02,23,363

35 विनियामक प्रकटीकरण

(i) स्वामित्व निधि का घटक

कंपनी की स्वामित्व निधि में इक्विटी शेयर पूंजी एवं मुक्त आरक्षित निधियां सम्मिलित हैं, जिनमें से अमूर्त परिसंपत्तियों का बही मूल्य घटाया गया है। यह राशि यूएसडी 1,22,58,826 / आईएनआर 1,04,21,59,423 है।

(ii) ऑफ-बैलेंस शीट जोखिम यदि कोई हो – शून्य

(iii) कंपनी की परिसंपत्ति देयता प्रोफाइल

कंपनी ने अवधि के अंत तक वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ नहीं किया है।

(iv) मूल कंपनी द्वारा वित्तपोषण की सीमा

कंपनी को पूर्णतः मूल कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इक्विटी शेयर पूंजी के माध्यम से वित्तपोषित किया गया है। मूल कंपनी द्वारा यूएसडी 12,004,442 / आईएनआर 100 करोड़ की पूंजी निवेशित की गई है।

(v) व्यावसायिक अनुपात

कंपनी के प्रथम वर्ष होने के कारण तुलनात्मक अनुपात उपलब्ध नहीं हैं, अतः परिवर्तन पर टिप्पणी लागू नहीं होती।

क्र.सं.	विवरण	गणना	यूएसडी में अनुपात / राशि
1	इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	वर्ष का लाभ घटाएं वरीयता लाभांश (यदि कोई हो) / औसत कुल इक्विटी	2%
2	रिटर्न परिसंपत्तियों (टाइम्स में)	निवल लाभ / औसत परिसंपत्तियां	2%

(vi) गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का संकेंद्रण सहित शीर्ष पांच एनपीए के कुल जोखिम का विवरण
कंपनी के पास कोई एनपीए नहीं है।

(vii) बैलेंस शीट में प्रावधान संबंधी प्रकटीकरण
वर्ष के दौरान कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

(viii) मूल इकाई की देयता अर्थात पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कंपनी में देयता उसकी इक्विटी अंशदान तक सीमित है।

36 विनियामक संस्थाओं के साथ पंजीकरण का विवरण

क्र.सं.	विनियामक संस्था	विवरण	पंजीकरण विवरण
1	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U64910GJ2024G0I148583
2	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए)	पंजीकरण संख्या	IFSC/FC/2024-25/0010
3	एसईज़ेड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	एलओए संख्या	IFSCA-SEZ/5/2024-SEZ

37 कंपनी पर किसी भी सांविधिक प्राधिकरण/वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा कोई दंड, जुर्माना या प्रतिबंधात्मक आदेश निरीक्षण रिपोर्ट या अन्य प्रतिकूल निष्कर्षों के आधार पर नहीं लगाया गया है।

शिखा तलरेजा कंपनी सचिव	**जसनीत गुरम** मुख्य वित्तीय अधिकारी	**पी. एस. सुंदरम** मुख्य कार्यकारी अधिकारी	**संदीप कुमार** निदेशक डीआईएन: 08529035	**परमिंदर चोपड़ा** अध्यक्ष डीआईएन: 08530587

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार हस्ताक्षरित
कृते मुकेश कुमार जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 106619W

सीए आयुष जैन
पार्टनर
सदस्यता सं. 446931

दिनांक: 28/08/2025
स्थान: नई दिल्ली